प्रकाशन संख्या-422

सत्यमेव जयते

बिहार विधान-सभा

लोक-लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या 413

वित्त विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक-लेखा समिति का प्रतिवेदन।

दिनांक........................को सदन में उपस्थापित।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2002-2003	क
2.	लोक लेखा समिति की उप समिति (2) का गठन	ख
3.	महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के पदाधिकारीगण	ग
4.	सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण	घ
5.	प्राक्कथन	च
6.	प्रतिवेदन	1-36

क्रमांक	कंडिका सं0	पृष्ठ सं0
1	1.2	1-1
2	1.3.1 .3.1	1-1
3	1.3.2	2-2
4	1.4.1.41	2-2
5.	1.4.2	2-2
6.	1.5.1.5.1	3-3
7.	1.5.2	3-3
8.	1.5.3	3-3
9.	1.5.4	3-3
10.	1.6.1.6.1	4-4
11.	1.6.2	4-4
12.	1.6.3	4-4
13.	1.6.4	5-5
14.	1.6.5	5-6
15.	1.7.1.7.1	6-6
16.	1.8.1 .8.1	7-7
17	1.8.2	7-7
18.	1.8.3	8-9
19.	1.8.4	9-9
20.	1.9.1	10-10
21.	1.9.2	10-10
22.	1.9.3	11-11
23.	1.9.4	11-11
24.	1.9.5.1	11-11
25.	1.9.5.2	12-12
26.	1.9.5.3	12-13

क्रमांक	कंडिका सं0	पृष्ठ सं0
27.	1.9.6	13-13
28.	1.10.1.10.1	14-15
29.	1.10.2	15-16
30.	1.10.3	16-16
31.	1.10.4	17-17
32.	1.11.1.11.1	18-18
33.	1.11.2	18-18
34.	1.11.3	19-27
35.	1.11.4	28-28
36.	2.2	29-29
37.	2.3.2.3.1	30-31
38.	2.3.3	31-31
39.	2.3.6	32-33
40.	2.3.7	33-33
41.	2.3.10	34-34
42.	2.3.12	34-34
43.	2.3.13	35-35
44.	2.3.14	36-36

लोक लेखा समिति का गठन (2002-2003)

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स0वि0स0

सदस्यगण

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स0वि0स0
3. श्री रामचन्द्र राय, स0वि0स0
4. श्री यदुवंश कुमार यादव, स0वि0स0
5. श्री शोभाकान्त मंडल, स0वि0स0
6. श्री गिरिधारी यादव, स0वि0स0
7. श्री मुनीलाल यादव, स0वि0स0
8. श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0
9. श्री प्रभुदयाल सिंह, स0वि0स0
10. श्री हरि नारायण सिंह, स0वि0स0
11. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, स0वि0स0
12. श्री रामनाथ ठाकुर, स0वि0स0
13. प्रो0 अरूण कुमार, स0वि0स0
14. श्री मंगनी लाल मंडल, स0वि0स0
15. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, स0वि0स0
16. श्री पी0 के0 सिन्हा, स0वि0स0

लोक लेखा समिति की उप-समिति (2) का गठन वर्ष 2002-2003

सभापति

1. श्री रामदेव वर्मा, स0 वि0 स0

संयोजन

2. श्री मुनेश्वर चौधरी, स0 वि0 स0

सदस्यगण

3. श्री रामचन्द्र राय, स0 वि0 स0
4. श्री राम नाथ ठाकुर, स0 वि0 स0
5. श्री पी0 के0 सिन्हा, स0 वि0 प0

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना ।
2. श्री मान सिंह, उप-महालेखाकार, बिहार, पटना ।
3. श्रीमति विनीता मिश्र, उप महालेखाकार, बिहार, पटना ।
4. श्री जटा शंकर झा, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री रणवीर प्रसाद, लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
6. श्री सतीश चन्द्र झा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
9. श्री अरविन्द कुमार, लेखा परीक्षा, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री यू0 एन0 पंजियार, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री के0 सी0 मिश्रा, अपर वित्त आयुक्त (व्यय), बिहार, पटना ।
3. श्री रामेश्वर सिंह, अपर वित्त आयुक्त (संसाधन), बिहार, पटना ।
4. श्री के0 पी0 मंडल, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
5. श्री तिलक राज गौरी, बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

कम्प्यूटर कोषांग, वाल्मी, खगौल (पटना) में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीगण

1. श्री शीलभद्र सिन्हा, सिस्टम मैनेजर
2. श्री शैलेन्द्र, सहायक प्राध्यापक
3. श्री सरोज कुमार वर्मा, सहायक प्राध्यापक

बिहार विधान-सभा-सचिवालय

1. श्री जे0पी0 पाल, सचिव
2. श्री विन्देश्वरी प्रसाद यादव, संयुक्त-सचिव
3. श्री ब्रज किशोर सिंह 'प्रभात', उप सचिव
4. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर-सचिव
5. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर-सचिव
6. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी
7. श्री लाल बाबु प्रसाद, प्रशासी पदाधिकारी
8. श्री भूदेव राय, प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी
10. श्री शिव पूजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से वित्त विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं0- 413 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30-4-03 को लोक लेखा समिति की मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है । लोक लेखा समिति की विभाग के साथ कुल 7 बैठकें हुई ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधि पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग से समिति को वांछित सहयोग मिला है जिसके लिये मै अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ ।

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम का परिचय इस प्रतिवेदन को तैयार करने में दिया है । मै अपनी ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के सदस्यगण अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग प्रदान किया है, मै उनका आभारी हूँ और इस कृत के लिए अपनी ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

पटना
दिनांक --30-4-03

रामदेव वर्मा,
सभापति,
लोक लेखा समिति

वित्त विभाग

वर्ष - 1998-99

क्र. सं.	कंडि का सं0	आपत्ति	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निकर्ष /अनुशंसा
1	1.2	**राज्य की वित्तीय स्थिति** शासकीय लेखाकरण पद्धति में सरकार द्वारा स्वामित्व भूमि एवं भवन इत्यादि जैसी अचल सम्पतियों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता है । हालाँकि,शासकीय लेखे में सरकार का वित्तीय दायित्व एवं सरकार द्वारा किए गय व्यय से सृजित परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित की जाती है । 31 मार्च 1998 की स्थिति का अनुरूपी तुलना करते हुए 31 मार्च 1999 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पतियों की संक्षिप्त सूची प्रदर्श -I दर्शाता है । इस विवरणी के दायित्वों मे मुख्यतः वाह्य एवं अंत ऋण, भारत सरकार से प्राप्त कर्जे एवं पेशगियाँ, लोक लेखे से प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधि समाहित है जबकि परिसम्पतियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियाँ तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है । प्रदर्श -I से द्रष्टव्य, होगा कि मुख्यतः शासकीय खाते के घाटा में अत्यधिक वृद्धि (41.72 प्रतिशत) के परिणमस्वरूप ही वर्ष 1998-99 के दौरान परिसम्पत्तियों में मात्र 13.18 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई जबकि दायित्वों में 19.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान सरकार की पूर्व से ही गंभीर बनी हुई वित्तीय स्थिति की अवस्था स्पष्ट रूप से बिगड़ गयी ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । राज्य सरकार द्वारा समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय किया जाता है । पूंजीगत व्यय अधिक किये जाने पर परिसंपत्तियों की राशि में वृद्धि होती है, जिसकी दायित्व से तुलना कर वित्तीय स्थिति को दर्शाया जाता है । कई मदो पर व्यय की प्रकृति पूंजीगत होती है, पर लेखा में राजस्व व्यय की रूप में दर्ज की जाती है । वित्तीय वर्ष 1998-99 में 11563.31 करोड़ रूपये राजस्व व्यय हुये थे, जिसमें कि 1399. 58 करोड़ रूपये योजना मद के थे । अगर यह राशि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दिखलायी जाती तो राजस्व घाटा अपेक्षाकृत कम होता और पूंजीगत व्यय भी अधिक होता । अब यह प्रयास किया जा रहा है कि संगत योजना मदों पर होने वाले व्ययों को पूंजीगत व्यय की श्रेणी में दिखलाया जाय, जिससे कि सही वित्तीय स्थिति आकलित हो । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग में लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	क्रमांक 1 से 35 तक में दर्ज कंडिका आपत्तियों के विभागीय जबाव से समिति सहमत नही है । ये आपत्तियाँ सरकार के वित्तीय प्रबंधन की असफलता के प्रतीक हैं . सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन के नियामक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जाना चिंता का विषय है इस आलोक में समिति अनुशंसा करती है कि विभाग वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने हेतु ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएँ और छः माह के अंदर समिति को प्रतिवेदित करे ।
2	1.3 1.3.1	**निधि का श्रोत एवं उपयोग** चालू एवं पिछले वर्ष के दौरान निधियों के श्रोत एवं उपयोग की स्थिति को प्रदर्श -III मे दिया गया है । निधियों के मुख्य श्रोत में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, कर्जे एवं पेशगियों की वसूली, लोक ऋण एवं लोक खाते में प्राप्तियाँ सम्मिलित है । इनका उपयोग मुख्यतः राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर तथा विकासत्मक उद्देश्यों के लिए उधार देने हेतु किया जाता है । राज्य सरकार के लिए निधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रोत राजस्व प्राप्तियाँ थी । राजस्व प्राप्तियों मे कुल मिलाकार 2 प्रतिशत का ह्रास था एवं उनके आपेक्षिक अंश भी सीमांत रूप से गिर कर वर्ष 1997-1998 के 77.65 प्रतिशत से वर्ष 1998-99 मे 71.70 प्रतिशत हो गया है । कर्जे एवं पेशगियो की वसूली भी 0.12 प्रतिशत से घट कर 0.08 प्रतिशत हो गयी । लाक खाता से शुद्ध प्राप्तियों का हिस्सा वर्ष 1997-98 के 4.30 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1998-99 में 2.86 प्रतिशत हो गया । लोक ऋण से प्राप्तियाँ 16.23 प्रतिशत से सीधी बढ़कर 23.39 प्रतिशत हो गयी । वर्ष के दौरान ध्यान देने योग्य एक परिवर्तन यह था कि विशालकाय घाटे के पूरा करने के लिए उपरोक्त वर्णित प्राप्तियों से अधिक 255.98 करोड़ रूपये की राशि रोकड़ शेष से आहरित की गयी थी ।	यह एक तथ्यात्मक कंडिका है । राजस्व प्राप्तियों मे राज्य के करों में 1997-98 में 2399.82 करोड़ रूपये एवं 1998-99 में 2681.35 करोड़ रूपये का संग्रहण हुआ था । केन्द्रीय करों के हिस्से में भी 1997-98 में 4074.30 करोड़ और 1998-99 मे 4441.23 करोड़ रूपये का राशि प्राप्त हुई थी । केन्द्र सरकार से गैर योजना अनुदान 1997-98 में 1088. 51 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ था, जबकि 1998-99 में 104.97 करोड़ रूपये ही प्राप्त हुआ । जिसके कारण 983.94 करोड़ रूपये की कमी हो गयी । इस कमी के कारण ही मुख्यतः राजस्व प्राप्ति में ह्रास हुआ है । रोकड़ शेष राशि का ईस्तेमाल एक स्वभाविक प्रक्रिया है । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग में लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

3	1.3.2.	निधियों का उपयेाग मुख्यत: राजस्व व्यय के लिए होता था, जिसका अंश मात्र 86.27 प्रतिशत से 89.19 प्रतिशत ही नही बढ़ा अपितु राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों मे राजस्व प्राप्तियों के अंश से स्पष्टत: उच्चतर (71.70 प्रतिशत) भी रहा था । इस कारण राजस्व घाटा (2267 करोड़ रूपयें) मे पूर्व वर्ष (1052 करोड़ रूपये) से काफी वृद्धि हुई थी । वर्ष के दौरान प्रतिशत पूंजीगत व्यय नगण्य ही जारी था जो पूर्व वर्ष के 4.59 प्रतिशत से बढ़कर 6.35 प्रतिशत हुआ था । साथ ही विकासात्मक उद्देश्यो के लिए कर्ज देने मे 5.26 प्रतिशत से घटकर 4.46 प्रतिशत की कमी हुई थी ।	राजस्व प्राप्ति से अधिक राजस्व व्यय की स्थिति राजस्व घाटा को प्रदर्शित करता है । राजस्व प्राप्तियां 9296 करोड़ रूपये की हुई थी, जबकि राजस्व व्यय 11563.31 करोड़ रूपये का किया गया था । अचल परिसंपतियों के निर्माण पर हुए व्यय को भी कभी-कभी राजस्व व्यय के शीर्ष मे दर्शाए जाने के कारण वास्तविक पूंजीगत व्यय कम परिलक्षित होता है । 1998-99 मे पूंजीगत व्यय 823.57 करोड़ रूपये का हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 1997-98 मे 560.27 करोड़ रूपये का हुआ था । विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देने के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय के श्रेणी में आता है । दोनो को मिलाकर 1998-99 में कुल व्यय 1402.13 करोड़ रूपये का हुआ था, जबकि 1997-98 मे 1202.45 करोड़ रूपये का हुआ था । इस तरह वर्ष 11998-99 के दौरान 1997-98 की तुलना में पूंजीगत व्यय में 16.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग मे लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
4	1.4 1.4.1.	राज्य सरकार का वित्तीय संचालन राज्य सरकार द्वारा की गयी निकासी एवं प्राप्तियों का विवरण प्रदर्श -11 मे दिखाया गया है । वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों (9296 करोड़ रूपये) से अधिक राजस्व व्यय (11563 करोड़ रूपयें) होने के परिणामस्वरूप 2267 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा हुआ । पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों मे वास्तव मे कमी हुई थी । इसमे कर राजस्व (2681 करोड़ रूपयें) करेत्तर राजस्व (1146 करोड़ रूपयें), संघीय कर एवं शुल्कों मे राज्य का अंश (4441 करोड़ रूपये) और केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान (1027 करोड़ रूपये) सम्मिलित थे । कर राजस्व के मुख्य श्रोत बिक्री कर (70 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (9 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (10 प्रतिशत) तथा वाहनो पर कर (6 प्रतिशत) थे । करेत्तर राजस्व मुख्यत: अलौहिक खान एवं धातुकर्म उद्योग (65 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियों (12 प्रतिशत) से प्राप्त हुए थे । वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान मे स्पष्ट कमी हुई थी (विगत वर्ष के दौरान 1780 करोड़ रूपये की तुलना मे 1027 करोड़ रूपये)	यह एक तथ्यात्मक कंडिका है । राजस्व प्राप्तियो मे कमी मुख्यत: केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में कमी होना है । गैर-करेत्तर राजस्व मे मुख्य कमी खनन एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत भारत सरकार से खनिजो पर रॉयल्टी नही प्राप्त होने के कारण हुई उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग मे लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
5	1.4.2.	पूंजीगत प्राप्तियों (3440 करोड़ रूपये) मे मुख्यत: कर्ज एवं पेशगियों की वसूली तथा लोक ऋण से प्राप्तियों सम्मिलित थे । इसके विरूद्ध परिव्यय पर 824 करोड़ रूपये तथा लोक ऋण की वापसी पर 510 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय था । लोक लेखा मे कुल मिलाकर 4085 करोड़ रूपये की प्राप्तियों के विरूद्ध 3714 करोड़ रूपयें आहरित किए गए थे । वर्ष के प्रारम्भ मे 1625 करोड़ रूपये का रोकड़ शेष घटकर वर्ष के अंत मे 1369 करोड़ रूपया हो जाना संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में लेन-देन का निवल परिणाम था ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों से जो भी राशि प्राप्त होती है उसे राज्य के समेकित निधि में जमा किया जाता है । समेकित निधि से राजस्व एवं पूंजीगत दोनो तरह के व्यय किये जाते है । वर्ष 1997-98 में पूंजीगत व्यय 560.27 करोड़ रूपये का था, 1998-99 मे 823.57 करोड़ रूपये किया गया । इस तरह पिछले वर्ष की तुलना मे 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग के लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित	

			करने की कृपा की जा सकती है ।	
6	1.5 1.5. 1.	राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियों में मुख्यतः कर एवं करेतर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्तियाँ सम्मिलित है । उनके पारस्परिक अंश आरेख-1 मे दिखाए गए है । वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वार्षिक वृद्धि औसतन 9 प्रतिशत थी ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
7	1.5. 2.	कर राजस्व ये राजस्व प्राप्तियों के कुल 29 प्रतिशत थे । मुख्यतः बिक्री कर के दर में वर्ष 1997-98 के 65 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1998-99 मे 68 प्रतिशत की वृद्धि के कारण उनका अंश वर्ष 1997-98 के 25 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1998-99 मे 29 प्रतिशत हो गया । प्रदर्श-IV दर्शाता है कि बिक्री कर, राज्य उत्पाद तथा मुद्रांक एवं निबंधन जैसे कर राजस्व के प्रमुख संघटक का सापेक्ष योगदान वर्ष 1994-99 की अवधि के दौरान लगभग स्थिर था एवं इन वर्षो के दौरान वाहनों पर कर एवं अन्य करों के अंश में ह्रास हुई थी ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । राज्य के राजस्व करों मे वृद्धि के उद्देश्य से बिहार वित्त अधिनियम-2002 से परिवहन विभाग, निबंधन विभाग एवं वाणिज्य-कर विभाग के नियंत्रणाधीन अधिनियमों मे संशोधन किया गया है, जिससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना संभावित है । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग में लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
8	1.5. 3.	करेत्तर राजस्व सरकार के राजस्व प्राप्तियों का 12 प्रतिशत करेत्तर राजस्व था जो वर्ष 1994-95 से 14 प्रतिशत नीचे था ।	करेत्तर राजस्व में मुख्यतः रॉयल्टी से राशि प्राप्त होती है । रॉयल्टी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है । 1994-95 में रॉयल्टी से 704.35 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ, जबकि 1998-99 में 740.91 करोड़ रूपये संग्रहित किया गया था । 1994-95 में करेत्तर राजस्व से 862.27 करोड़ रूपये संग्रहित किया गया था एवं 1998-99 में 829.34 करोड़ रूपये का संग्रहण हुआ है । माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा खनिजों पर शेष अधिरोपण की कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किये जाने के कारण गैर-कर राजस्व की प्राप्ति पर बुरा असर पड़ा । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
9	1.5. 4.	संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश एवं केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान ये राजस्व प्राप्तियों का वृहत अंश (59 प्रतिशत) था । वर्ष के दौरान संघीय करों (उत्पाद शुल्क तथा आय एवं निगम कर) में राज्य का अंश 9 प्रतिशत बढ़ा था जबकि केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान में 42 प्रतिशत की कमी आयी थी । हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में वे (दोनों को एक साथ लेने पर) वर्ष 1994-95 के 60 प्रतिशत तथा 1997-98 के 62 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1998.99 के दैरान 59 प्रतिशत हो गये थे; ऐसा मुख्यतः सहायता अनुदान के अंश मे तीक्ष्ण गिरावट (16 प्रतिशत से 11 प्रतिशत), जो संघीय करों के राज्य अंश मे वृद्धि प्रतिसंतुलित करने से अधिक था, के कारण हुआ था ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । गिरावट का कारण कंडिका-1.3.1 में स्पष्ट किया गया है । केन्द्रीय सहायता अनुदान में कमी आने के कारण तीव्र गिरावट हुई है । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

10	1.6 1.6.1	राजस्व व्यय राज्य सरकार के व्यय का अधिकांश (89 प्रतिशत) राजस्व व्यय के रूप मे दर्ज था एवं वर्ष 1998-99 के दौरान इसमे 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । हालाँकि वृद्धि मात्र गैर योजना पक्ष में ही हुई थी । वर्ष के दौरान योजना राजस्व व्यय वास्तव में स्थिर रहा ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । 1997-98 मे 10530 करोड़ रूपये का राजस्व व्यय हुआ था । 1998-99 मे 11563 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है । पिछले वर्ष की तुलना में 9.81 प्रतिशत की ही वृद्धि है, जो एक सामान्य प्रकृति की है । 1997-98 मे योजना मद मे राजस्व व्यय 1700 करोड़ रूपये एवं 1998-99 में 1737 करोड़ रूपये हुआ । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग में लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
11	1.6.2	खण्डवार विश्लेषण दर्शाता है कि जब सामान्य सेवाओं पर व्यय 71 प्रतिशत बढ़ते हुए वर्ष 1994-95 के 3110 करोड़ रूपये से वर्ष 1998-99 में 5310 करोड़ रूपये हो गया, तब सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय में अनुरूपी वृद्धि क्रमशः मात्र 61 एवं 14 प्रतिशत थी । कुल व्यय के समानुपात के रूप में सामान्य सेवाओं का अंश वर्ष 1994-95 के 41 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 46 प्रतिशत एवं सामाजिक सेवाओं का अंश 33 प्रतिशत से 35 प्रतिशत हो गया था जबकि आर्थिक सेवाओं का अंश 26 प्रतिशत से गिर कर 19 प्रतिशत हो गया था ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । 1997-98 मे गैर योजना मे सामान्य सेवाओ पर 4499 करोड़ रूपये, सामाजिक सेवाओं में 3897 करोड़ रूपये एवं आर्थिक सेवाओं मे 2133 करोड़ रूपये, एवं योजना मे सामान्य सेवाओं मे 8 करोड़, सामाजिक सेवाओं में 107 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं में 445 करोड़ रूपये व्यय किये गये थे । वर्ष 1998-99 मे गैर योजना मद मे सामान्य सेवाओ मे 5309 करोड़ सामाजिक सेवाओ मे 4012 करोड़ एवं आर्थिक सेवाओं मे 2240 करोड़ रूपये एवं योजना में सामान्य सेवाओं में 10 करोड़, आर्थिक सेवाओं मे 665 करोड़ एवं सामाजिक सेवाओं पर 149 करोड़ रूपये व्यय किये गये है । इस प्रकार वर्ष 1998-99 मे 1997-98 की तुलना मे सभी मदो मे अधिक व्यय हुआ है । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग मे लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
12	1.6.3	*ब्याज भुगतान* ब्याज भुगतान में वर्ष 1994-95 के 1595 करोड़ रूपये से वर्ष 1998-99 मे 2412 करोड़ रूपये होते हुए 51 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई थी । वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान मे 350 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई थी । इसके लिए मुख्यतः उच्च ब्याज दर पर बढ़ते हुए बाजार कर्जे को जिम्मेवार ठहराया गया था । इसकी चर्चा आगे वित्तीय सूचक के खण्ड मे की गयी है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । उच्च ब्याज दर पर प्राप्त कर्जो से कारण राज्यो द्वारा भुगतान किये जाने वाला ब्याज का दायित्व बढ़ा है । हाल मे भारत सरकार ने डेट-स्वेप (Debt-Swap) स्कीम लागू की है, जिसके अंतर्गत उच्च ब्याज दर वाले ऋणों को, वर्तमान मे कम ब्याज दर पर ऋण की राशि लेकर चुकता किये जाने से ब्याज का बोझ कम होगा, जिसके तहत बिहार राज्य ने भी 598 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2002-03 में चुकता किया है । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

13 | 1.6.4

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

वर्ष 1998-99 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न स्थानीय निकायों आदि को मुहैया कराए गए सहायता के परिमाण निम्नानुसार थे :

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
				(करोड़ रुपये में)	
विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	248.83	273.29	337.93	382.82	417.34
नगर निगम एवं नगरपालिका	28.10	15.19	33.20	25.90	27.21
जिला परिषद एवं पंचायती राज संस्थान	18.63	31.47	4.34	26.37	5.89
विकास अभिकरण	633.10	513.76	335.73	241.64	226.86
अन्य संस्थाने	29.74	14.47	82.85	113.45	181.93
योग	**958.40**	**848.18**	**794.05**	**790.18**	**859.23**
पूर्व वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	56.83	(-)11.50	(-)6.38	(-)0.49	9
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	13	10	9	8	7

पंचायती राज संस्थानों को 5 वर्षों तक सहायता नगण्य थी एवं वर्ष के दौरान इस अल्प सहायता में भी 78 प्रतिशत की स्पष्ट गिरावट हुई थी ।

यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । नगर निगमों एवं पंचायती राज संस्थानों मे निर्वाचन होने के उपरांत दशम् वित्त आयोग एवं एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक मे भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि अब इन्हे उपलब्ध करायी जा रही है ।

उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।

14 | 1.6.5

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं पेशगियाँ

विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक गतिविधियों के लिए सरकारी कम्पनियों, निगमो, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों, सहकारिताओ, गैर-सरकारी संस्थानो इत्यादि को सरकार ऋण एंव पेशगियाँ देती है । नीचे दी गयी विगत पाँच वर्षो की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 1998-99 के दौरान अदायगियाँ नगण्य थी (आरंभिक शेष का 1 प्रतिशत से कम) एवं अंतशेष लगभग 12 प्रतिशत बढ़ा था । ऋणों की नगण्य वापसी राज्य सरकार की दयनीय वित्तीय स्थिति के प्रमुख कारणों मे से एक था तथा राजकोषीय घाटा को बढ़ाने मे स्पष्ट भूमिका अदा किया था ।

जिला बोर्डों, नगरपालिका एवं अन्य स्थानीय निकायो, राज्य विद्युत बोर्ड, निजी संस्थाओ, कंपनियों तथा व्यक्ति विशेषों को अग्रिम दी गयी ऋणों, जिसका विस्तृत लेखा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार रखते थे, मे से 2782.78 करोड़ रूपये (मूलधन 1301.40 करोड़ तथा ब्याज 1481.38 करोड़ रूपये) 31 मार्च 1999 के अनुसार बकाया थे । ऋणों का ब्यौरा, जिसका विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा संधारित किए जाते थे, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था । इस प्रकार वसूली योग्य ऋण की वास्तविक राशि को कम बताया गया है ।

यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की प्रोग्रेसिव राशि, वर्ष के दौरान किये गये अग्रिम एवं वापसी की सूचना विवरणी मे अंकित है । 1997-98 मे 642.18 करोड़ रूपये का अग्रिम दिया गया था, जिसमे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 433.91 करोड़ रूपये एवं 1998-99 मे 532.84 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया था । संस्थाओं की वित्तीय स्थिति दयनीय होने के कारण ऋण की वापसी नही हो रही है । कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को मकान, मोटरगाड़ी एवं अन्य अग्रिम जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उससे ही मुख्यतः ऋण की वापसी हो रही है ।

उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग मे लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
आरम्भिक शेष	3628.57	3669.51	3801.67	4027.15	4654.79
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम की राशि	82.71	110.57	235.43	642.18	578.56
वर्ष के दौरान वापस की गयी राशि	11.77 (0.32)	8.41 (0.22)	9.95 (0.26)	14.54 (0.36)	10.09 (0.22)
अन्त शेष	3699.51	3801.67	4027.15	4654.79	5223.25
शुद्धि जोड़	70.94	102.16	225.48	627.64	568.47
प्राप्त ब्याज	1.91 (0.05)	4.94 (0.13)	2.64 (0.07)	7.11 (0.18)	2.31 (0.05)

15	1.7 1.7.1	पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय सम्पति सृजन को आगे बढ़ाती है । साथ ही लोक क्षेत्र उपकमों (पी.एस.यू.) निगमों इत्यादि जैसी सरकार से बाहर संस्थानों या उपकमों में किए गए निवेश तथा ऋण एवं पेशगियों की राशि से वित्तीय संपति बनती है । पूर्व के दो वर्ष, अर्थात 1994-95 एवं 1998-99 के दौरान पूंजीगत व्यय का अंश तुच्छ रहा जो कुल व्यय का औसतन 5 प्रतिशत था । प्रदर्श- IV दर्शाता है कि अधिकतर पूंजीगत व्यय आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं तथा योजना पक्ष पर किया गया था । सम्पति में निम्न वृद्धि का मुख्य कारण पूंजीगत व्यय मे निम्न निवेश का होना था ।	राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से कम हो तो, राजस्व मद मे जो बचत होगी उससे पूंजीगत व्यय किया जा सकता है, जिससे संपत्तियों के सृजन मे निवेश अधिक हो सकता है । दूसरी ओर, यदि राज्य राजस्व घाटे की स्थिति मे हो तो, पूंजीगत प्राप्तियों का एक हिस्सा सर्वप्रथम राजस्व घाटे की पूर्ति में चला जायेगा एवं शेष बची राशि को ही पूंजीगत व्यय में निवेश किया जा सकेगा । राज्य 90 के दशक के पहले से ही राजस्व घाटे की स्थिति में है । इसलिए पूंजीगत व्यय में निम्न निवेश होना स्वाभाविक है । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग मे लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

16	1.8 1.8.1	व्यय की गुणवत्ता विधि- व्यवस्था सम्भालने से लेकर विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के नियामक कार्य कलापों तक अनेक गतिविधियों के लिए सरकार राशि खर्च करती है । सरकारी खर्च को राजस्व एवं पूंजीगत के अधीन योजना एवं गैर योजना मे विस्तृत तौर पर वर्गीकृत किया जाता है । योजना एवं पूंजीगत व्यय का संबंध साधारणतया संपत्ति सृजन से है, जबकि गैर योजना एवं राजस्व व्यय स्थापना, संधारण एवं सेवाओं पर व्यय के रूप में समझे जाते है । इस प्रकार परिभाषा के अनुसार आम तौर पर पूंजीगत व्यय को व्यय की गुणवत्ता मे योगदान के रूप मे समझा जा सकता है ।	यह एक तथ्यात्मक है । योजना मद में किया गया सभी व्यय पूंजीगत व्यय की श्रेणी में नही आता है, बल्कि राजस्व व्यय से भी योजना मद मे राशि का व्यय किया जाता है । वर्ष 1998-99 मे 1737 करोड़ रूपये के राजस्व व्यय योजना मद में किये गये थे । पूंजीगत व्यय को ही सिर्फ गुणवत्ता के योगदान के रूप में माना जाना वांछनीय नही है । योजना आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को अविकासीय व्यय माना जाता है और सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाले व्यय को विकासात्मक व्यय के श्रेणी मे रखा जाता है । विकासात्मक व्यय भी व्यय की गुणवत्ता मे योगदान के रूप में माने जाते है । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
17	1.8.2	लोक व्यय मे बर्बादी, निधियों का विपथन एवं अपूर्ण परियोजनाओं पर निधियों का अवरूद्ध रहना भी व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मकता की ओर दृष्टि गोचर कराएगा । इसी प्रकार निधियों को व्यय के रूप मे दर्ज करने के बाद उन्हें लोक लेखा के जमा शीर्षो मे स्थानान्तरित किया जाना भी व्यय की गुणवत्ता का निर्णय करने मे नकारात्मकता के रूप मे समझा जा सकता है । चूंकि सम्बन्धित वर्ष मे व्यय वास्तविक तौर पर नही हुआ था अत: इस वर्ष के व्यय के आंकड़ों से इसे हटा देना चाहिए था । आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं को नुकसान पहुँचाते हुए सामान्य सेवाओं पर व्यय मे वृद्वि होना एक दूसरा संभाव्य सूचक है ।	सामान्यत: राशि लोक लेखा मे जमा नही करायी जानी चाहिए । लोक लेखा में राशि परियोजना के संबंध में तभी जमा की जाती है, जबकि वित्तीय वर्ष के अंत तक किसी कारण उसका व्यय किया जाना संभव नही हो सकता है । ऐसा सामान्यत: मार्च के अंतिम दिनो में ही किया जाता है और लोक लेखा में जमा राशि को अप्रैल, मई माह में राशि निकाल कर अपूर्ण परियोजनाओं पर व्यय किया जाता है, ताकि परियोजना निधि के कारण अवरूद्ध नही हो और उसे राशि निकालने के लिए लम्बी प्रक्रिया से गुजरना नही पड़े । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग में लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

18 | 1.8.3

निम्नलिखित सारणी इन सूचकों में प्रवणता दर्शाती है ।
प्रथम सारणी योजना एवं गैर योजना व्यय का ब्यौरा दर्शाती है जबकि दूसरी सारणी दूसरे प्रवणता को दर्शाती है ।

सारणी-I

	1994-95		1995-96		1996-97	
व्यय प्रतिशतता के रूप में	योजना	गैर योजन	योजना	गैर योजन	योजना	गैर योजन
राजस्व व्यय	74	100	68	100	68	100
पूंजीगत व्यय	26	-	32	-	32	-

			1997-98		1998-99	
राजस्व व्यय			75	100	68	100
पूंजीगत व्यय			32	-	32	-

सारणी-II

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय	4	4	5	5	6
2. सामान्य सेवाओं पर व्यय (प्रतिशत)					
राजस्व	41	42	44	43	46
पूंजीगत	01	01	01	01	01
3. अपूर्ण परियोजना पर प्रतिफल रहित व्यय	32	37	40	53	86

यह द्रष्टव्य होगा कि राजस्व पक्ष को योजना व्यय का अंश वर्ष 1994-95 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 15 प्रतिशत हो गया । अवधि के दौरान कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश सदैव निम्न, औसतन 5 प्रतिशत रहा । सामान्य सेवाओं पर व्यय राजस्व पक्ष की ओर अधिक रहा ।

यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । सामान्य सेवाओं के अंतर्गत सूद, पेंशन का भी भुगतान किया जाता है, जिसमें वृद्धि के कारण सामान्य सेवाओं पर व्यय अधिक होता है ।

19	1.8.4	दयनीय योजना प्रदर्शन आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (मार्च 1997 को समाप्त) के साथ-साथ वर्ष 1997-98 के दौरान योजना व्यय से सम्बन्धित बिहार सरकार के उदासीन प्रदर्शन के सम्बन्ध में मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.14 में उल्लेख किया गया था । वर्ष 1998-99 के दौरान भी प्रदर्शन जारी रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है । वर्ष 1998-99 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 3768.74 करोड़ रूपये (भा.स.अंशदान: 1191.76 करोड़ रूपये एवं राज्य सरकार अंशदान: 900.22 करोड़ रूपये) जिसे परिव्यय स्तर पर भारी कमी कर 1850.00 करोड़ रूपया कर दिया गया । इसके विरूद्ध 2182.41 करोड़ रूपया खर्च किया गया था । संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य सरकार ने कुल 2670.50 करोड़ रूपये का केन्द्रीय ऋण (1371.82 करोड़ रूपये), बाजार कर्जों (734.00 करोड़ रूपये) एवं केन्द्र सरकार से अनुदान (564.68 करोड़ रूपये) प्राप्त किया था, जबकि इसके इन अनुदानों एवं कर्जे का 18 प्रतिशत (493.93 करोड़ रूपये) खर्च नहीं किया था । अतः राज्य सरकार ने अपने संसाधन से योजना व्यय में अंशदान नहीं किया तथा दूसरी तरफ भारत सरकार के अंशदान में से 488.09 करोड़ रूपया भी बचा लिया था । चालू राजस्व से शेष पर आगे की कंडिका 1.11.2 (i) में चर्चा की गयी है । राज्य सरकार के वर्ष 1998-99 के विनियोग लेखा से भी यह पाया गया कि बजटीय प्रावधान में से पूरी राशि को खर्च करने में राज्य सरकार विफल रही । इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रायोजित योजना (446.02 करोड़ रूपये) एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं (2.52 करोड़ रूपये) के साथ-साथ विभिन्न राज्य योजनागत योजनाओं (1076.80 करोड़ रूपये) के अंतर्गत परिशिष्ट-II के अनुसार 1525.34 करोड़ रूपये की भारी बचत थी । कुल बजट प्रावधान का कुल मिलाकर 8 प्रतिशत बचत थी । बचतों पर आगे चर्चा कंडिका 2.3 में शामिल की गई है ।	वार्षिक योजना उद्व्यय का अंतिम निर्धारण उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं मुख्य मंत्री के विमर्श के उपरांत निर्धारित किया जाता है । निर्धारित योजना उद्व्यय में केन्द्रीय सहायता के रूप में 70 प्रतिशत ऋण की राशि एवं मात्र 30 प्रतिशत ही अनुदान के रूप में प्राप्त होती है । बाजार ऋणों के कर्जे कितने प्राप्त होंगे, इसका निर्धारण किया जाता है । साथ ही, लघु बचतों से प्राप्त होने वाले निवल राशि पर 75 प्रतिशत की राशि कर्ज के रूप में प्राप्ति होती है । राज्य में जो भी राशि राजस्व प्राप्ति अथवा पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त होती है, उसे समेकित निधि में जमा किया जाता है । समेकित निधि से दोनों प्रकार यथा:- राजस्व एवं पूंजीगत व्यय किये जाते हैं । गैर योजना मद में राजस्व व्यय अधिक होने के कारण योजना मद में व्यय के लिए राशि की उपलब्धता कम हो जाती है । भारत सरकार के अंशदान में से राशि बचायी नहीं जाती है, बल्कि कुल प्राप्त राशि व्यय होती है । 1998-99 में राजस्व प्राप्तियां 9296 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 3440 करोड़ रूपये की थी । कुल 12736 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ था, जबकि राजस्व व्यय 11563 करोड़, एवं पूंजीगत व्यय 824 करोड़ रूपये एवं दिये गये ऋण एवं पेशगिया 579 करोड़ कुल 12966 करोड़ रूपये हुआ । स्पष्ट है कि राशि का पूर्ण व्यय हुआ । उपर्युक्त के आलोक में वित्त विभाग की लेखा कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

20 — 1.9.1

निवेश एवं प्रतिफल

विकासात्मक, निर्माण, विपणन एवं सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने केलिए सरकार द्वारा पूंजीगत परिव्यय मे से निवेश किया जाता है । किए गए निवेशों का क्षेत्र-वार विवरण एवं सम्मिलित संस्थाओं की संख्या निम्नप्रकार थे:

	क्षेत्र	संस्थाओं की संख्या	निवेशित राशि
		31 मार्च 1999 को	वर्ष 1998-99 के दौरान
			(करोड़ रुपये मे)
(i)सांविधिक निगमें	3	99.67	-
(ii)सरकारी कम्पनियां	36	327.22	10.83
(iii)संयुक्त पूंजी कम्पनियां	10	3.88	-
(iv)सहकारिता संस्थाने	अनु0	224.62	3.20
योग-		655.39	14.03

विगत पांच वर्षों के दौरान निवेशों एवं लाभांश तथा ब्याज के रूप मे प्राप्त प्रतिफल की विवरणी निम्नवत थी:

वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर निवेश (करोड़ रुपये मे)	प्रतिफल	प्रतिफल का प्रतिशत	सरकारी कर्ज पर ब्याज का दर (प्रतिशत)
1994-95	27.96	शून्य	शून्य	12.50
1995-96	14.38	शून्य	शून्य	14.00
1996-97	20.52	2883 मात्र	शून्य	13.85
1997-98	0.09	1000 मात्र	शून्य	13.75
1998-99	14.03	192 मात्र	शून्य	12.50

विभाग का उत्तर: यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । सांविधानिक निगम, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों एवं सरकारी संस्थाओं जिनके शेयर पूंजी मे राज्य सरकार ने निवेश किया है, उनके द्वारा राज्य सरकार को लाभांश नही देने के कारण यह स्थिति हुई है । जिन कंपनियों को ऋण के रूप मे राशि उपलब्ध करायी गयी है, उन संस्थानों की वित्तीय स्थिति अच्छी नही होने के कारण राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान नही किया जा रहा है । वित्तीय संस्थानों के लेखों को अद्यतन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप मे राशि उपलब्ध करायी जा रही है । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।

अत: जबकि सरकार बाजार से उच्च दर पर कर्ज ले रही थी, सरकारी कम्पनियों इत्यादि मे इसका निवेश कोई प्रतिफल नही दे रहा था । 30 सितम्बर 1999 को राज्य मे सभी 50 कम्पनियों (19 सहायक कम्पनियों सहित) के लेखे 1 से 22 वर्षो तक से लंबित थे । 4 सांविधिक निगमों मे से 3 निगमों के लेखा को अंतिम रूप देने मे विलम्ब था ।

45 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों के नवीनतम निष्पादित लेखा के अनुसार 39 कम्पनियों एवं 3 निगमों मे क्रमश: 125.91 करोड़ रूपये एवं 460.35 करोड़ रूपये का घाटा हुआ था तथा शेष 6 कम्पनियों एवं 1 निगम ने क्रमश: 4.18 करोड़ रूपये तथा 1.54 करोड़ रूपये का कुल लाभ अर्जित किया था । पांच कम्पनियों ने अपने आरंभिक काल से ही अपने लेखा को अन्तिम रूप नही दिया था ।

21 — 1.9.2

अपूर्ण परियोजनाएं

23 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत: 12; मध्यम: 11) मे से मार्च 1999 तक 20 परियोजनाओं (वृहत:10, मध्यम : 10) मे 1756.87 करोड़ रूपये की पूंजी अवरूद्ध थी । 3 सिंचाई परियोजनाओं (वृहत: 2, मध्यम: 1) मे अवरूद्ध पूंजी का आंकड़ा उपलब्ध नही था । यह दर्शाता था कि सरकार अपने संसाधनों का विस्तार कम कर रहा था, जो कोई प्रतिफल देने मे विफल रहा ।

विभाग का उत्तर: यह कंडिका जल संसाधन विभाग मे अपूर्ण सिंचाई परियोजना से संबंधित है । इस संबंध मे वांछित सूचना/वस्तुस्थिति से जल संसाधन विभाग ही अवगत करा सकता है । उपर्युक्त के आलोक मे वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।

22	1.9.3	**राजस्व का बकाया** वर्ष के दौरान लम्बित राजस्व संग्रहण के बकाया में 27 प्रतिशत की वृद्धि थी । वर्ष 1995-96 का 18 प्रतिशत लम्बित बकाया निर्बाध वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 1998-99 के दौरान बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया । 31 मार्च 1999 को, जैसा कि विभागों द्वारा प्रतिवेदित किये गये थे, राजस्व के मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत 1616.16 करोड़ रूपये बकाया थे जिसमें से 278.46 करोड़ रूपये (17 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक से लम्बित थे एवं मुख्यतः बिक्री कर (221.00 करोड़ रूपये), राज्य उत्पाद (36.05 करोड़ रूपये) एवं विद्युत पर कर एवं शुल्क (20.26 करोड़ रूपये) से संबंधित थे । उपरोक्त राजस्व की राशि कम करके बतायी गयी क्योंकि इस संबंध में सरकार के अन्य विभागों द्वारा सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की गयी थी (अक्टूबर 1999) । अन्य विभागों में राजस्व के बकाये में ऐसी ही वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । राजस्व के बकाया की स्थिति में उक्त गिरावट राज्य सरकार के राजस्व पहल पर शिथिलता को दर्शाता था ।	प्रधान महालेखाकार कार्यालय से राजस्व बकाये की सूचना जिन विभागों ने नहीं दी है उनके नाम उल्लेखित नहीं है । सामान्यतः सभी विभागों द्वारा मांगी गयी सूचना प्रस्तुत की जाती है । जहाँ तक बकाये राजस्व राशि को कम कर बताये जाने का जिक्र किया गया है, इसके संदर्भ में संबंधित विभाग- वाणिज्य-कर विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग, जल संसाधन विभाग एवं उत्पाद विभाग से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाना होगा । संबंधित विभागों को समिति निर्देशित करने की कृपा करना चाहेंगी । यह कंडिका वित्त विभाग से संबंधित नहीं है, इसलिए इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
23	1.9.4	**अर्थोपाय पेशगियाँ एवं ओवरड्राफ्ट** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक अनुबंध के तहत राज्य सरकार को बैंक में प्रतिदिन न्यूनतम 0.70 करोड़ रूपये रोकड़ शेष बनाए रखना था । अगर किसी भी दिन का न्यूनतम अनुबंधित शेष नीचे गिर जाता है तो कमी को बैंक से अर्थोपाय पेशगियाँ (डब्लू.एम.ए.)/ओवरड्राफ्ट (ओ.डी.) लेते हुए इसे पूरा करना था । साथ ही, जब भी आवश्यकता हुई बैंक द्वारा विशेष अर्थोपाय पेशगियाँ भी दी गयी । अर्थोपाय पेशगियाँ/ओवरड्राट के सहारा का अर्थ सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य बेमेल होना है एवं इस प्रकार सरकार के दयनीय वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता था । रोकड़ शेष निवेश खाता में अत्यधिक संचित शेष के कारण वर्ष 1998-99 के दौरान, सरकार ने अर्थोपाय पेशगियाँ/ओवरड्राफ्ट नहीं लिया था ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवर ड्राफ्ट की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है । वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान, सरकार ने अर्थोपाय पेशगियाँ/ओवरड्राफ्ट नहीं लिया था । उपर्युक्त कंडिका को वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	
24	1.9.5.1	**घाटा** सरकारी लेखा के घाटा बतलाता है कि प्राप्तियों एवं व्यय के बीच अन्तर है । व्यय की प्रकृति सरकार में वित्तीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का एक महत्वपूर्ण सूचक है । साथ ही, घाटा को वित्त प्रदान करने का तरीका एवं इस तरह से बढ़ाए गए निधियों का उपयोग सरकार के राज कोषीय दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक है । इस खंड में घाटा के तीन अवधारणाओं अर्थात राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा एवं मूल घाटा से संबंधित चर्चा है ।	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । इस संदर्भ में मंतव्य अपेक्षित नहीं है । उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग में लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

25 | 1.9.5.2

राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय होना राजस्व घाटा है । राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त सहायता अनुदान सहित) से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (दिये गये निवल ऋण सहित) को राजकोषीय घाटा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान मूल घाटा है । निम्नलिखित प्रदर्श सरकारी लेखा में घाटा के विभिन्न कमों को बताती है ।

संचित निधि (सं.नि.)

प्राप्ति	राशि (करोड़ रु० में)		संवितरण	राशि (करोड़ रु० में)
राजस्व	9296	राजस्व घाटा 2267	राजस्व	11563
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य		पूंजीगत शुल्क	824
ऋण एवं पेशगियों की वसूली	10		ऋण एवं पेशगियों का संवितरण	578
उप-योग	9306	सकल राजकोषीय घाटा 3659	उप-योग	12965
लोक ऋण	3543		लोक ऋण अदायगी	510
योग	12849	अ : संचित निधि में घाटा 626		13475
		लोक लेखा		
लघु बचत, भ.नि इत्यादि	971		लघु बचत, भ. नि. इत्यादि	506
जमा एवं अग्रिम	1590		जमा एवं अग्रिम	1528
आरक्षित निधियां	4		आरक्षित निधियां	2
उचन्त एवं विविध	76		उचन्त एवं विविध	213
प्रेषण	1443		प्रेषण	1465
कुल लोक लेखा	4084	ब : लोक लेखा द्वारा वित्त प्रदत्त सं.नि. में घाटा 370		3714

रोकड़ शेष में ह्रास (ब-अ) : 256

तालिका दर्शाता है कि 2267 करोड़ रूपये के राजस्व घाटा को कर्ज के द्वारा पूरा किया गया था । 3659 करोड़ रूपये का राजकोषीय घाटा लोक ऋण (3033 करोड़ रूपये) के निवल प्राप्ति के द्वारा तथा अंशतः लोक खाता तथा रोकड़ शेष के आधिक्य के द्वारा वित्त प्रदत्त था । विगत 5 वर्षों में दोनों घाटे में दुगना से वृद्धि हुई थी एवं वर्ष के दौरान राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा में क्रमशः 115 प्रतिशत एवं 63 प्रतिशत की उच्च वृद्धि हुई थी जो सरकार के खराब वित्तीय स्थिति को सूचित करता है ।

यह एक तथ्यात्मक विवरणी है ।
80 के दशक के मध्य से सभी राज्य राजस्व घाटे में चले गये थे । लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक परियोजनाओं पर अत्यधिक व्यय करने के कारण राजस्व घाटे की स्थिति बनी है । वित्तीय वर्ष 99-00 से 2001-02 के बीच राजस्व घाटा एवं राजकोषिय घाटा की स्थिति में सुधार संभावित है । राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में अपेक्षित सुधार हो रहा है ।
उपरोक्त तथ्य के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।

26 | 1.9.5.3

कर्ज ली गयी निधियों का उपयोग (राजकोषीय घाटा)

राजकोषीय घाटा सरकार के कुल निवल कर्ज को संसूचित करती है । इन कर्जों का उपयोग राजकोषीय घाटा (आर.डी.) को पूरा करने,पूंजीगत व्यय (सी.ई.) करने तथा विकासात्मक एवं अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न निकायों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है । इन उपयोगों का आपेक्षित समानुपात राज्य सरकार के वित्तीय दूरदर्शिता एवं उसके कार्यों की संचालन की सुदृढ़ता को भी इंगित करेगा क्योंकि राजस्व व्यय के लिए कर्ज लेना जारी रहना बाद में चलकर कायम नहीं रह पाएगा । निम्नलिखित तालिका बिहार सरकार से संबंधित विगत पांच वर्षों की स्थिति को दर्शाता है :

यदि राज्य सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से कम होता है तो राजस्व मद में जो बचत होगी उसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जाता है । यदि राजस्व घाटा होता है तो पूंजीगत प्राप्ति की राशि का उपयोग राजस्व व्यय में स्वतः हो जाता है । वित्तीय वर्ष 99-2000 की तुलना में 2001-02 में राजकोषीय घाटे में कमी आयी है । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित किया जा सकता है ।

अनुपात	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
राजस्व घाटा/रा. कोषीय घाटा	0.76	0.63	0.46	0.47	0.62
पूंजीगत व्यय/रा.कै.घाटा	0.19	0.29	0.37	0.25	0.22
निवल ऋण/रा.को. घाटा	0.05	0.08	0.17	0.28	0.16
योग	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

यह इंगित होता है कि वर्ष 1996-97 से ही कर्ज ली गयी निधियों का अधिकाधिक भाग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किए गये थे । चूंकि राजस्व व्यय अत्यधिक बढ़ा था अतः पूंजी निर्माण पर बुरा असर पड़ा ।

27 1.9.6

राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टियां

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थाओं इत्यादि द्वारा बढ़ाए गए खास दायित्वों, जैसे ऋणों की अदायगी, अंश पूंजी इत्यादि तथा उनके द्वारा ब्याज एवं लाभांश का भुगतान के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटियां दी जाती है । वे राज्य के प्रत्याभूति पर शामिल बन जाते है । ऐसी अधिकतम सीमा, जिसके भीतर राज्य के संचित निधि की प्रत्याभूति पर सरकार द्वारा गारंटी दिया जा सके, के लिए संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत् राज्य विधान मंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था । ऋण भुगतान उन पर ब्याज का भुगतान एवं बकाया राशि के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटियों से संबंधित वर्ष 1994-95 से 1998-99 के समाप्ति तक की स्थिति निम्नवत थी :-

वर्ष की समाप्ति पर स्थिति	दी गयी गारंटी की राशि (केवल मूलधन)	राशि मूलधन	बकाया ब्याज
	(करोड़ रुपये में)		
1994-95	216.32	73.36	सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया
1995-96	1777.27	1183.79	नहीं
1996-97	649.61	549.89	नहीं
1997-98	243.78	199.34	नहीं
1998-99	190.17	962.28	नहीं

ये गारंटियाँ 4 सांविधिक निगमों/बोर्डों, 11 सरकारी कंपनियों, 3 संयुक्त पूंजी कंपनियों, 5 स्वायत्तशासी निकायों, 2 सहकारिता बैंकों एवं अनेक सहकारिता समितियों की ओर से दी गयी थी । ऋणियों द्वारा मूलधन एवं ब्याज के पुर्नभुगतान में दोषी होने की स्थिति में ब्याज सहित ऋण के पुर्नभुगतान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के जिम्मे आती थी ।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 1.10.4 (अ) में यह उल्लेखित था कि गारंटियों के निर्वहन में वर्ष 1990-8 के दौरान सरकार द्वारा 718.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था । वर्ष 1998-99 के दौरान गारंटियाँ निष्पादित करने के ऊपर किये गये भुगतान की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था । परिणामस्वरूप ऋणियों के दोषी होने के कारण हुए कुल जोखिम को लेखा परीक्षा ने आंका नहीं जा सका । साथ ही, पूर्व में सरकार द्वारा किए गए काफी पुर्नभुगतान को देखते हुए आगे भी लंबित गारंटियों की राशि के पुर्नभुगतान के दायित्व से इंकार नहीं किया जा सकता था ।

यह तथ्यात्मक विवरणी है । वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी की राशि की अधिसीमा राज्य विधान मंडल द्वारा कानून पारित कर निर्धारित नहीं की है । सरकार की यह नीति है कि गारंटी वर्तमान में सामान्यतः नहीं दी जायेगी । वैसे ही संस्थाओं/परियोजनाओं जिनपर राज्य सरकार की ऋण की गारंटी देने की बाध्यता हो परियोजना के उपयोगिता/उससे प्राप्त होने वाली लाभ को देखते हुए, विशेष परिस्थिति में गारंटी दी जायेगी । नाबार्ड/एन.सी.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने में राज्य सरकार को गारंटी देने की बाध्यता है, जिसमें संशोधन करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया । कालांतर में गारंटी राशि में और कमी आयेगी ।

उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित किया जा सकती है ।

वित्त विभाग

वर्ष - 1998-99

क्र.सं.	कंडिका सं0	आपत्ति	विभाग का स्पष्टीकरण	समिति का निष्कर्ष / अनुशंसा
28	1.10 (1.10.1)	लोक ऋण भारत का संविधान व्यवस्था करता है कि अगर राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा समय -समय पर निर्धारित किया जाय तो उन विशिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत राज्य की संचित निधि के प्रत्याभूति पर भारत के क्षेत्र के अन्तर्गत एक राज्य उधार ले सकता है । राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसी कोई सीमा निर्धारण हेतु कानून पारित नहीं की गयी थी । विगत पाँच वर्षों की समाप्ति पर राज्य सरकार के कुल दायित्वों का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है । पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य सरकार का कुल दायित्व 61 प्रतिशत बढ़ा था । यह आंतरिक ऋण के मद में 74 प्रतिशत, भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियों के मद में 68 प्रतिशत तथा अन्य दायित्वों में 44 प्रतिशत बढ़ा था । वर्ष 1998-99 के दौरान सरकार ने 12.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर खुले बाजार से 734.00 करोड़ रुपया उधार लिया था ।	यह एक तथ्यात्मक टिप्पणी है । लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के मद में दिखायी गयी राशि प्रोग्रेसिव है, जिसमें कि प्रत्येक वर्ष ली गयी राशि को पूर्व वर्ष के बकाये राशि में जोड़कर दिखाया जा रहा है । प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का निर्धारण योजना आयोग एवं मुख्यमंत्री के विमर्श के उपरांत किया जाता है जिसमें कि राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, राज्य अपने संसाधनों से कितना राशि प्राप्त कर सकेगा इसका ब्योरा रहता है । बाजार ऋण के लिए निर्धारित राशि की अधिसीमा योजना आयोग द्वारा तय की जाती है, जिसकी उगाही भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की जाती है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के आलोक में भारत सरकार से अनुमति ली जाती है । केन्द्रीय सहायता के मद में जो राशि प्राप्त होती है, उसमें 70 प्रतिशत की राशि ऋण के रूप में होती है और राज्य के अंदर लघु बचतों से निवल(नेट) राशि जो प्राप्त होती है, उसका भी 75 प्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है, जो कि केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण की श्रेणी में दिनांक 1 अप्रैल, 2000 के पूर्व माना जाता था । उसके उपरांत इसे राज्य के आंतरिक ऋण के श्रेणी में रखा गया है । अन्य दायित्वों में मुख्य राशि राज्य सरकार के कर्मियों के भविष्य निधि की राशि है । वास्तव में यह राशि नगद रूप में प्राप्त नहीं होती, बल्कि वेतन भुगतान करने के फलस्वरूप जो सामान्य भविष्य निधि की कटौती की राशि है, राज्य सरकार के दायित्व के श्रेणी में आ जाती है । उपरोक्त के आलोक में दायित्वों में वृद्धि होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की संचिका सूची से विलोपित की जा सकती है ।	

वर्ष	आन्तरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियां	कुल लोक ऋण	अन्य दायित्व	कुल दायित्व	जी.एस.डी.पी. से ऋण का अनुपात
		(करोड़ रुपये में)				
1994-95	3106	7957	11063	5607	16670	32
1995-96	3509	8772	12281	6312	18593	32
1996-97	4016	9740	13756	6876	20632	32
1997-98	4676	11061	15737	7525	23262	33
1998-99	5395	13375	18770	8056	26826	40

29	1.10.2	लोक ऋण के माध्यम से इकट्ठा की गयी निधि रकम, पुनर्भुगतान की रकम एवं उपलब्ध निवल निधियाँ निम्नलिखित तालिका में दी गयी है ।	यह एक चिन्तात्मक स्थिति है । राज्य सरकार के संचित निधि में राशि राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियों से होती है । कुल प्राप्ति की राशि में से राजस्व व्यय का भी भुगतान किया जाता है और पूंजीगत व्यय का भी भुगतान किया जाता है । प्रत्येक वर्ष पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण की राशि दिये जाने के फलस्वरूप वर्ष दर वर्ष इसमें वृद्धि होना संभावित है । केन्द्र सरकार केन्द्रीय सहायता के रूप में 70 प्रतिशत की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है । ऋण पर ब्याज का भुगतान राज्य को करना पड़ता है । पूर्व के वर्षों में अधिक दरों पर ब्याज पर ऋण प्राप्त हुए हैं । जिस कारण ब्याज मद में अधिक राशि का भुगतान होता है । हाल ही में इस समस्या के निदान हेतु डेट-स्वेप स्कीम में राज्य सरकार भाग ले रही है, जिससे कि वर्तमान में कम दरों पर राशि प्राप्त कर पूर्व में अधिक दरों के ऋणों को वापस कर दिया जायेगा, जिससे कि ब्याज मद में कम राशि का भुगतान करना पड़ेगा और बची हुई राशि का उपयोग विकासात्मक कार्यों में लाया जा सकेगा । वर्ष 2002-03 में 287 करोड़ रुपये की राशि पूर्व वर्षों के अधिक दरों पर प्राप्त ऋणों की राशि को वापस किया गया है । जिससे प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ रुपये की बचत ब्याज मद में लगभग होगी । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को विचार की जाती सूची से विलोपित की जा सकती है ।	

	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
	(करोड़ रुपये में)				
आन्तरिक ऋण					
प्राप्तियां	749	595	566	717	734
पुनर्भुगतान (भुगतान ब्याज)	781	527	527	500	596
उपलब्ध निवल निधियां	(-)32	68	39	217	138
(प्रतिशत)	(-) 4	11	7	30	19
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियां वर्ष के दौरान प्राप्ति	934	1154	1341	1792	2809
पुनर्भुगतान	1084	1170	1320	1562	1788
उपलब्ध निवल निधियां	-150	-16	21	230	1021

(प्रतिशत)	-16	-1	2	13	38
अन्य प्राप्तियाँ वर्ष के दौरान प्राप्ति	2562	2751	2537	2385	2503
पुनर्भुगतान	2165	2549	2508	2263	2511
शुद्ध निवल निधियाँ	397	202	37	122	(-)8
(प्रतिशत)	15	7	1	5	(-)0.31

यह इंगित होता कि पुनर्अदायगी की बाध्यता को पूरा करने के बाद भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों को छोड़ कर कर्जों का बहुत अल्प भाग ही निवेश एवं अन्य व्यय के लिए उपलब्ध है । यह समझते हुए कि बकाया ऋण वर्ष दर -वर्ष बढ़ रहा है तथा ऋणों के पुनर्भुगतान की बाध्यता बढ़ रही है, लोक ऋणों के माध्यम से निधि की निवल उपलब्धता अभी घटती जा रही है ।

30 | 1.10.3

केन्द्र सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ

विगत पाँच वर्षों के लिये भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं पेशगियों की स्थिति निम्नानुसार थी -

यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । केन्द्र सरकार से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी राशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई, कितनी राशि मूलधन एवं ब्याज के रूप में भुगतान की गयी को दर्शाया गया है । केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि वार्षिक योजना के निर्धारण में केन्द्रीय सहायता के रूप में 70 प्रतिशत ऋण के रूप में ही प्राप्त होती है और राज्य के अंदर लघु बचतों में निवेशित राशि के निवल राशि राज्य सरकार को ऋण के रूप में 75 प्रतिशत प्राप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के ऋण पेशगियों में वृद्धि होना संभावित है । एक अप्रैल 2000 के प्रभाव से लघु बचतों की राशि को राज्य सरकार के आंतरिक ऋण की श्रेणी में माना गया है । वर्ष 2002-03 में लघु बचतों पर शत प्रतिशत राशि को ऋण के रूप में प्राप्त होगा, जबकि पूर्व में 75 प्रतिशत ही प्राप्त होता था ।

वर्ष	वर्ष के दौरान वृद्धि	ऋण +ब्याज+ की पुनर्अदायगी		निवल अंतर्वाह	स्तम्भ 5 का स्तम्भ 2 से प्रतिशतता	
		मूलधन	ब्याज	योग		
1	2	3	4	5	6	7
		(करोड़ रूपये में)				
1994-95	934.14	344.89	738.85	1083.74	(-)149.60	116
1995-96	1154.19	339.12	830.80	1169.92	(-)15.73	101
1996-97	1340.94	373.54	946.38	1319.92	21.02	98
1997.98	1791.80	470.04	1092.07	1562.11	229.69	87
1998-99	2808.93	499.51	1292.27	1791.78	1017.15	64

31 | 1.10.4

गलत अवधारणा पर लिया गया कर्ज

वर्ष 1994-98 के दौरान आवश्यकता से बहुत ज्यादा स्तर पर सरकार का बाजार कर्ज के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन की कंडिका 1.9.3 में उल्लेख किया गया था, जिससे इस अवधि के दौरान राजकोष पर कम से कम 323 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा था । इस के संबंध में मामला अगस्त 1999 में मुख्य मंत्री के व्यक्तिगत जानकारी में भी लाया गया था । उसके बावजूद 1998-99 के दौरान 734 करोड़ रुपये का परिहार्य बाजार कर्ज का सहारा लेते हुए राज्य सरकार ने पुनः अनुचित दायित्व सृजित किया जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष — राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए उपलब्ध निधि

वर्ष	राजकोषीय घाटा	भारत सरकार से ऋण	लोक लेखा से निवल प्राप्ति	केन्द्र विशेष सहायता (आर्थिक रूप)	कुल उपलब्ध निधि	राजकोषीय घाटा पर आधिक्य	बाजार कर्ज
				(करोड़ रुपये में)			
1998-99	3659	2313	370	1881	4561	902	734

उपरोक्त तालिका से यह प्रत्यक्ष होता कि 3659 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटा के विरुद्ध सरकार के पास विभिन्न स्रोतों से 4561 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान माह-दर-माह कोषागार विपत्रों की स्थिति का विश्लेषण दर्शाता था कि अप्रैल 1998 से मार्च 1999 के दौरान 1304.44 करोड़ रुपये से लेकर 2387.65 करोड़ रुपये तक के कोषागार विपत्र सरकार के पास थे । इस प्रकार वर्ष के दौरान 734 करोड़ रुपये के बाजार कर्ज का कोई औचित्य नहीं था । अनुचित कर्ज मात्र कम लाभ देने वाले कोषागार विपत्रों पर निवेश को बढ़ाया । इसके अतिरिक्त कर्ज के मद में ब्याज दायित्व प्रतिवर्ष 91.75 करोड़ रुपया था ।

वार्षिक योजना का निर्धारण योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री के विमर्श के उपरांत निर्धारित किया जाता है । प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना में बाजार ऋण की उगाही से कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी, इसका भी निर्धारण होता है । बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से होती है । भारतीय रिजर्व बैंक पूरे देश के राज्यों के लिए एक साथ तीन-चार किस्तों में राशि की उगाही करता है । उक्त राशि का उपयोग कोषागार विपत्रों में निवेश के लिए नहीं करने का लक्ष्य रहता है । भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में न्यूनतम राशि से अधिक राशि अगर राज्य सरकार की उपलब्ध रहती है तो, 14 दिन के कोषागार विपत्रों में निवेश कर दिया जाता है । यह कहना कि बाजार राशि से प्राप्त ऋण का निवेश कोषागार विपत्रों में किया गया है, उचित नहीं प्रतीत होता है ।
उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित की जा सकती है ।

32	1.11 1.11.1	वित्तीय क्रियाकलाप के सूचक सरकार या तो अपनी किसी वर्तमान गतिविधि को कायम रखने या अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करती है । गतिविधि के वर्तमान स्तर को कायम रखने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वित्तीय स्रोत किस हद तक सुदृढ़ है । इसी प्रकार सरकार अगर अपनी गतिविधि के स्तर को बढ़ाना चाहती है तो वित्त प्रदान करने के साधन की नम्यता एवं अन्ततः प्रक्रिया के दौरान सरकार की बढ़ी हुई भेद्यता का परिहार आवश्यक रूप से करना चाहिए । सभी राज्य सरकारें अपनी गतिविधि के स्तर में वृद्धि मूलतः पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जारी रखती है जो वार्षिक विकास योजनाओं का रूप लेती है एवं राज्य बजट में शामिल की जाती है । विस्तृत रूप में यह कहा जा सकता है कि गैर योजना व्यय सरकार के वर्तमान गतिविधि के स्तर को कायम रखने का द्योतक है, जबकि योजना व्यय गतिविधि के विस्तार को सुनिश्चित करती है । सरकार की बढ़ती हुई भेद्यता की स्थिति में इन दोनों गतिविधियों में संसाधन बढ़ाना अपेक्षित है । संक्षेप में सरकार की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ता, भेद्यता एवं नम्यता के नाम से वर्णित किया जा सकता है । ये नाम निम्नानुसार परिभाषित किए जाते हैं : (i) सुदृढ़ता सुदृढ़ता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार वर्तमान कार्यक्रमों को कायम रख सकती है एवं ऋण बोझ को बढ़ाए बगैर वर्तमान कर्जदाता के आवश्यकताओं को पूरा करती है । (ii) नम्यता [illegible] एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार, की गयी वचन बद्धता भी [illegible] अपने राजस्व या अपने ऋण बोझ में वृद्धि लाते हुए अपने वित्तीय संसाधन को बढ़ा सकती है । (iii) भेद्यता भेद्यता एक ऐसा स्तर है जिस पर सरकार पराश्रित हो जाती है एवं इस प्रकार वित्त प्रदान करने के लिए घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों को इसके नियंत्रण या प्रभाव से बाहर हो जाता है, के लिए भेद्य हो जाता है । (iv) पारदर्शिता सरकार द्वारा प्रदत्त वित्तीय सूचना का भी विषय है । यह वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट) तथा लेखे से निर्मित होती है । बजट के संबंध में, बजटीय प्रक्रिया दर्शाते हुए सामयिक प्रस्तुतिकरण तथा आकलनों की शुद्धता मुख्य पैमाने है । जहाँ तक लेखे का संबंध है, उपस्थापन में सामयिकता, जिसके दृष्टांत मौजूद है तथा लेखे की पूर्णता मुख्य कसौटी होंगे ।	यह एक तथ्यात्मक कंडिका है । वित्तीय क्रिया-कलाप के निर्धारित सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित की जा सकती है ।	
33	1.11.2	वित्त लेखे में उपलब्ध सूचना का उपयोग सुदृढ़ता, नम्यता एवं भेद्यता व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है एवं उसे वित्त लेखे से लिए गए खास सूचकांकों/अनुपातों के रूप में वर्णित किया जा सकता है । ऐसे सूचकांकों/अनुपातों की सूची परिशिष्ट-III एवं IV एवं में दी गई है । प्रदर्श- V वर्ष 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान इन सूचकांकों/अनुपातों के आचरण को दर्शाता है । राज्य सरकार के वित्तीय स्थिति की दशा के लिए इन सूचकांकों/अनुपातों की सार्थकता पर परवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है ।	यह एक तथ्यात्मक कंडिका है । वित्तीय क्रिया-कलाप के निर्धारित सिद्धांतों को बताया गया है । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित की जा सकती है ।	

34	1.11.3	सूचकांकों/अनुपातों के आचरण को निम्नानुसार विवेचित किया गया है । प्रदर्श- V बिहार सरकार का वित्तीय सूचक	यह एक तथ्यात्मक विवरणी है । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित की जा सकती है ।	

सूचकांक	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
बी.सी.आर. (करोड़ रुपये में)	(-)1223.52	(-)652.39	192.67	(-)43.74	(-)1452
प्रारम्भिक घाटा (पी.डी.)(करोड़ रुपये में)	50.78	(-)358.65	(-)593.84	177.55	1247
ब्याज अनुपात	0.25	0.22	0.23	0.21	0.25
पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.17	0.16	0.21	0.23	0.24
कुल कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11
राज्य कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
निवेश पर प्रतिफल अनुपात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
क्षमता बी.सी.आर. (करोड़ रुपये में)	(-)1223.52	(-)652.39	(-)192.67	(-)43.74	(-)1452
पूँजीगत अदायगी/पूँजीगत कर्ज	0.26	0.27	0.23	0.21	0.14
राज्य कर प्राप्तियाँ/जी.एस.डी.पी.	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
ऋण/जी.एस.डी.पी.	0.39	0.40	0.40	0.42	0.40
भेद्यता					
राजस्व घाटा(आर.डी.)(करोड़ रुपये में)	1257	825	819	1052	2267
राजकोषीय घाटा(एफ.डी.)(करोड़ रुपये में)	1646	1309	1348	2239	3659
प्रारम्भिक घाटा(पी.डी.)(करोड़ रुपये में)	51	(-)359	594	178	1247
पी.डी./एफ.डी.	0.03	(-)0.07	(-)0.44	0.08	0.34
आर.डी./एफ.डी.	0.76	0.63	0.46	0.47	0.62

[illegible]/राजस्व प्राप्तियाँ	0.01	0.16	0.16	0.02	0.10		
परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.82	0.80	0.79	0.77	0.73		

टिप्पणी:- वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में राजकोषीय घाटा से अधिक ब्याज भुगतान था अतः ऋणात्मक आँकड़े प्राथमिक घाटा के लिए है ।

(i) चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर)

राजस्व प्राप्तियाँ घटाव योजना सहायता अनुदान घटाव गैर योजना राजस्व व्यय को बी.सी.आर के रूप में परिभाषित किया जाता है । एक धनात्मक बी. सी.आर दर्शाता है कि राज्य सरकार के पास योजना व्यय को पूरा करने के लिए उसके राजस्व से अधिशेष है । तालिका दर्शाता है कि राज्य सरकार को सभी पाँच वर्षों में चालू राजस्व से अधिशेष नहीं था तथा वर्ष 1998-99 में ऋणात्मक बी. सी.आर पूर्व के वर्ष से 33 गुना बढ़ हुआ था । सरकार को अपने समस्त योजना व्यय मात्र को ही पूरा करने के लिए कर्जों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था अपितु चालू राजस्व में पर्याप्त अन्तर को पाटने के लिए भी कर्जों पर निर्भर रहना पड़ता था ।

80 के दशक के मध्य में मुख्यतः सभी राज्य राजस्व घाटे में चले गये थे । यह एक व्यवस्थात्मक स्थिति है । किसी राज्य विशेष अंकित नहीं है । वेतन, पेंशन एवं सूद मद में अत्यधिक राशि का भुगतान हो जाने के कारण चालू राजस्व शेष धनात्मक नहीं बन पाता है । राजस्व व्यय को घटाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है । लोक कल्याणकारी राज्य में अचानक राजस्व व्यय को घटाना संभव नहीं है ।

(ii) ब्याज अनुपात

अनुपात जितना ही उच्चतर होगा, सरकार को कोई नयी ऋण देने एवं अपनी राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय पूरा करने की क्षमता उतनी ही कम होगी । बिहार के मामले में अनुपात 0.21 से 0.25 तक हो गया । पूर्व वर्ष के 0.21 से सीधे बढ़कर वर्ष 1998-99 में 0.25 हो गया । बढ़ता हुआ ब्याज अनुपात विगत अनेक वर्षों से राज्य सरकार द्वारा अनियोजित एवं अनुचित भारी कर्ज का आधान लिये जाने के कारण बढ़ते हुए ब्याज भार की ओर इशारा करता है । चूँकि वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप कर्ज नहीं थे इसलिए सुदृढ़ता पर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

प्रत्येक वर्ष की वार्षिक योजना में राज्य के लिए बाजार ऋण एवं केन्द्रीय सहायता से प्राप्त होने वाले ऋण लघु बचतें एवं निगोसिएटेड ऋण की अधिसीमा निर्धारित की जाती है । बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किश्तों में की जाती है और सभी राज्यों के लिये उगाही एक साथ की जाती है । राशि का उपयोग रोकड़ शेष निवेश में किया जाना संभव नहीं रहता है । भारतीय रिजर्व बैंक, [illegible] में यह व्यवस्था है कि अगर राशि न्यूनतम निर्धारित राशि से अधिक रहती है तो उसका उपयोग 14 दिन के कोषागार बिलों में निवेश किया जा सकता है, जिससे राज्य को कुछ सूद की प्राप्ति हो जाती है ।

(iii) पूँजीगत परिव्यय/पूँजीगत प्राप्तियाँ यह अनुपात दर्शाएगा कि पूँजीगत प्राप्तियों को किस हद तक पूँजी सृजन के लिए उपयोग किया जाता है । एक से कम का अनुपात दीर्घ काल में तब तक पूरा नहीं होगा जब तक यह इंगित होता रहे कि पूँजीगत प्राप्ति के एक हिस्से को अनुत्पादक राजस्व व्यय के लिए विचलन किया जा रहा है । इसके विपरीत, एक से अधिक का अनुपात इंगित करेगा कि राजस्व अधिशेष से ही पूँजीगत निवेश किए जा रहे है । इस अनुपात का प्रवृत्ति विश्लेषण राज्य सरकार के वित्तीय प्रदर्शन को आलोकित करेगा । बढ़ती हुई प्रवृत्ति का अर्थ, प्रदर्शन में सुधार होगा । बिहार के मामले में, अनुपात हमेशा से ही एक से कम रहा है और 0.16 एवं 0.24 के मध्य तक नीचे रहा है जो संसूचित करता है कि पूँजीगत प्राप्तियों का 76 से 84 प्रतिशत निवेश के लिए उपलब्ध नहीं था । विगत वर्षों के दौरान अनुपात में सुधार का कारण बढ़े हुए कर्जों के कारण निधियों की उपलब्धता थी । यह समझते हुए कि राज्य खाते पर अत्यधिक राजस्व घाटा की स्थिति में रहा था, अल्प अनुपात ही बतलाता कि सरकार का पूँजीगत व्यय कुल व्यय में करीब 5 प्रतिशत पर क्यों स्थिर था ।	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय कम होने पर उपलब्ध राशि का उपयोग पूँजीगत व्यय के लिये ही सकता है, अगर राशि घाटे में हो तो पूँजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व घाटे को पूरे करने के लिए इस्तेमाल करना स्वाभाविक है । पूँजीगत व्यय 1998-99 में 824 करोड़ रूपये से बढ़कर 1999-00 में 1233 करोड़ रूपये का हो गया है ।	
(iv) कर राजस्व बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस . डी.पी.) कर प्राप्तियों में राज्य करों एवं केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा शामिल है । राज्य में रह रहे लोगों द्वारा भुगतित केन्द्रीय करों के रूप में परवर्ती को समझा जा सकता है । कर प्राप्तियाँ सुदृढ़ता का संकेत देती है । लेकिन साथ ही साथ कर प्राप्तियों के जी.एस.डी.पी से अनुपात का आशय नम्यता के लिए भी होना चाहिए । जबकि कम अनुपात का अर्थ होगा कि सरकार और कर लगा सकती है एवं इस प्रकार इसकी नम्यता होगी , एक उच्च अनुपात वित्तीय साधन की सीमा को ही नहीं अपितु उसकी नम्यता को भी सूचित करता है । समयबद्ध विश्लेषण दर्शाता है कि बिहार के मामले में यह अनुपात वर्ष 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान हमेशा 0.11 पर स्थिर रहा है । इसी प्रकार जी. एस.डी.पी. की तुलना में राज्य कर प्राप्तियों का अनुपात भी वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान 0.04 पर स्थिर रहा है । जी.एस.डी.पी. से कुल कर के अनुपात की तुलना में जी. एस.डी.पी. से राज्य कर का अनुपात होना संकेत देता है कि केन्द्रीय करों के हिस्से पर राज्य सरकार बहुत अधिक आश्रित है । अनुपात यह भी संकेत देता है कि यद्यपि राज्य सरकार को अत्यधिक राजस्व घाटा था एवं गुणात्मक कर अनुपालन के माध्यम से और अधिक संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता थी फिर भी अपने साधनों के माध्यम से घाटा को पूरा करने का बहुत अल्प प्रयास किया गया ।	कर प्राप्तियों में दो तरह की प्राप्तियां होती है- एक राज्य के अपने करों से प्राप्ति जिसमें कि वर्ष 1998-99 में 2682 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी और 1999-00 में 3085 करोड़ रूपये की, दूसरा, केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा, 1998-99 में 4441 करोड़ रूपये एवं 1999-00 में 4962 करोड़ रूपये की राशि की प्राप्ति इस मद में हुई है । राज्य अपने करों में वृद्धि के लिये सतत प्रयत्नशील है । वाणिज्य-कर, निबंधन एवं परिवहन विभागों के अधीन निर्धारित होने वाले नियमों में संशोधन कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि की गयी है और नई उत्पाद नीति भी लागू करने का विचार राज्य सरकार के विचाराधीन है । बकाये करों के संग्रहण के लिये भी जिला नीलाम पदाधिकारी को सख्त	

	प्रयत्नशील रहने का निदेश दिया जाता रहा है । प्रमुख राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षात्मक बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माह में कई बार की जाती है ।	
(v) निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ. आई) पूँजीगत लागत से उपार्जन का अनुपात आर.ओ.आई कहलाता है । एक उच्च आर.ओ.आई सुदृढ़ता का द्योतक है । सांविधिक निगमों, सरकारी, कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों एवं सहकारिता संस्थानों में सरकार के निवेश से प्रतिफल की तालिका प्रस्तुत करती है । यह दर्शाता है कि बिहार सरकार के मामले में आर.ओ.आई नगण्य था ।	यह सर्वविदित है कि सरकारी लोक उपक्रम का उद्देश्य सिर्फ लाभ अर्जित करना ही नहीं, बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य में लोक उपक्रमों का प्रमुख उद्देश्य आधारभूत संरचनाओं का व्यवस्थापन करना भी होता है । लोक उपक्रमों के कई वर्षों से घाटे में चलने के कारण निवेश का प्रतिफल राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है । राज्य सरकार नया निवेश लोक उपक्रम में नहीं कर रही है । वर्ष 1995-96 से 99-00 के बीच देखा जाये तो निवेश काफी कम था । उदाहरण स्वरूप 1995-96 में 14 करोड़ रुपये, 1996-97 में 20.52 करोड़ 1997-98 में 0.09 करोड़, 1998-99 में 14.03 करोड़ एवं 1999-00 में 2.74 करोड़ रुपये मात्र का निवेश किया गया था ।	
(vi) पूँजीगत अदायगी बनाम पूँजीगत कर्ज यह अनुपात दर्शाता है कि कर्ज, पूँजीगत अदायगी के बाद किस हद तक निवेश के लिए उपलब्ध है । अनुपात जितना निम्नतर होगा निवेश के लिए पूँजी की उपलब्धता उतनी ही उच्चतर होगी । बिहार सरकार के मामले में यद्यपि यह अनुपात वर्ष 1995-96 के 0.27 से वर्ष 1998-99 में 0.14 हो जाना घटते हुए प्रवृति को दर्शाता है, हालांकि अदायगियाँ अभी तक आरंभ नहीं हुई थी फिर भी बढ़े हुए कर्ज के कारण मुख्यतः निधि की उपलब्धता के मामले ऐसा हुआ था ।	1999-00 में आंतरिक ऋण के तहत दायित्व के उच्चतर पुनर्भुगतान का कारण अर्थोपाय अग्रिम लिया जाना था । वर्ष 1999-00 में केन्द्रीय वेतनमान और पेंशन लागू करने के कारण राजस्व व्यय में काफी वृद्धि हुई थी,	

(viii) ऋण बनाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस.डी.पी.) जी.एस.डी.पी राज्य सरकार के कुल आन्तरिक संसाधन का आधार है जिसे ऋण सेवा का उपयोग किया जा सकता है । ऋण/जी. एस.डी.पी. के अनुपात में वृद्धि का अर्थ होगा कि अपने ऋण दायित्वों का निर्वाह करनेमें सरकार की सामर्थ्य घट रही है एवं इ स प्रकार कर्जदार के लिए जोखिम बढ़ रहा है । बिहार के मामले में यह अनुपात लगभग 0.40 के उच्च स्तर पर रहा जो दर्शाता था कि आन्तरिक कर्ज राशि को अतिलम्ब देने के कारण राज्य के संसाधन आधार पर दबाव था । यह इसे भी दर्शाता है कि जब तक कर्जों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक जीएसडीपी आने वाले वर्षों में बाद के कर्ज को अवलम्ब देने की स्थिति में नहीं रह पाएगा क्योंकि राज्य अपने निवेशों से राजस्व पैदा करने में विफल था ।	इस कारण पूंजीगत अदायगी बनाम पूंजीगत कर्जों में वृद्धि हुई । लोक कल्याणकारी राज्य में प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजनाओं को लागू करने के फलस्वरूप राज्य सरकार के ऋणों में वृद्धि होना स्वाभाविक प्रक्रिया है । पूर्व वर्षों में अधिक दरों पर सूद की राशि का भुगतान करना पड़ता था, जिसको कि घटाने का प्रयास डेट-स्वैप स्कीम के जरिए किया गया है जिससे आगे के वर्षों में सूद मद में राज्य को कम राशि का भुगतान करना पड़ेगा । 2002-03 में 598 करोड़ रूपये की राशि अधिक दरों के सूद की ऋणों की वापसी की गयी है ।	

(viii) राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियों से अधिक राजस्व व्यय होना राजकोषीय घाटा है एवं दर्शाता है कि राजस्व व्यय कर्ज इत्यादि के द्वारा किया जाता है। स्पष्टतः जितना ही अधिक राजस्व घाटा होगा राज्य उतनी ही अधिक चेतुप होगी । चूँकि राजकोषीय घाटा सम्पूर्ण कर्जों का सूचक है, राजकोषीय घाटा के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा इंगित करेगा कि सरकार के कर्जों का उपयोग किस हद तक गैर उत्पादन राजस्व व्यय को निधि प्रदान करने के लिए किया जाता है । इस प्रकार अनुपात जितना ही उच्चतर होगा राज्य की स्थिति उतनी ही बदतर होगी क्योंकि यह इंगित करेगा कि राज्य की अदायगी की सामर्थ्य में वृद्धि हुये बिना ही ऋण बोझ बढ़ रहा है । वर्ष 1996-9 के दौरान अनुपात द्रुत गति से 0 .46 से 0.62 पर पाया गया जो इंगित करता है कि संपत्ति निर्माण हेतु निवेश के लिए बहुत कम राशि छोड़ते हुए कर्ज ली गयी निधियों का अधिकांश राजस्व व्यय पर लगाए गये ।	यह एक तथ्यात्मक कंडिका है । 1999-00 में राशि में वृद्धि का कारण केन्द्रीय वेतनमान/पेंशन राज्य में लागू किया जाना रहा है ।	
(ix) प्रारंभिक मूल घाटा बनाम राजकोषी घाटा राजकोषीय घाटा घटाव ब्याज भुगतान प्रारंभिक घाटा होता है । इसका अर्थ है कि अनुपात का मान जितना ही कम होगा पूँजीगत निवेश के लिए निधि की उपलब्धता उतनी ही कम होगी । बिहार सरकार के मामले में यह अनुपात वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में ऋणात्मक रहा है । जबकि निवल कर्जे से अधिक ब्याज भुगतान था । हालांकि वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में स्थिति सुधरी जबकि ऋण ली गयी निवल निधियों का क्रमशः : 79 एवं 68 प्रतिशत ब्याज भुगतान संलग्नबद्ध किया गया था फिर भी ब्याज भुगतान का बोझ अधिक रहना जारी था ।	यह एक तथ्यात्मक कथन है । कंडिका के अंतिम भाग में यह उल्लिखित है कि 1997-00 में स्थिति में सुधार हुआ है ।	
(x) गारंटी बनाम राजस्व प्राप्तियाँ सरकार द्वारा निर्गत सुविधा पत्रों सहित लंबित गारंटियों किसी राज्य सरकार के जोखिम की बात को इंगित करता है एवं इसलिए सरकार की भुगतान क्षमता के साथ-साथ उसकी राजस्व प्राप्तियोंसे तुलना होनी चाहिए । इस प्रकार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों से कुल लंबित गारंटियों का अनुपात राज्य सरकार के चेतना के स्तर को संसूचित करेगा । बिहार के मामले में यह अनुपात यद्यपि 1995-96 के 0.16 से घटकर 1997-98 में 0.02 हो गया था लेकिन 1998-99 में 0.10 तक बढ़ गया ।	राज्य सरकार के 13 विभागों से गारंटी संबंधित आदेश निर्गत किये गये हैं । यथा- ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, गन्ना विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, कल्याण विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग । विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है । वित्त विभाग ने वर्ष 2002 में एक परिपत्र निर्गत कर स्पष्ट किया था कि मूलतः गारंटी के विरुद्ध लिये गये ऋण के भुगतान का दायित्व संबंधित संस्था का ही है ।	

हालांकि इसे इस तथ्य के परिपेक्ष्य में समझा जा सकता है कि लंबित गारंटियों के आंकड़े विश्वस्त नहीं है क्योंकि सहकारिता समितियों इत्यादि के विरुद्ध कुल लंबित गारंटियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं किए गए है । साथ ही, कम्पनियों जिनके लिए गारंटियाँ दी गयी थी, के दोष के कारण सरकार को अत्यधिक राशि की गारंटियां देनी पड़ती थी । भविष्य में वैसी ही गारंटियों प्रदान करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार निम्न अनुपात गारंटियों के कारण राज्य के राजस्व के जोखिम को पूर्णतः उजागर नहीं करता है ।	गारंटी के कारण सरकार का दायित्व जोखिम को देखते हुए आर्थिक विषयक उप समिति ने नये गारंटी नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है । गारंटी वहीं दी जायेगी, जहां कि राज्य सरकार की बाध्यता हो । जैसे नाबार्ड, एन.सी.डी.सी. से ऋणों के प्राप्ति के समय ।	
(xi) परिसम्पत्तियाँ बनाम दायित्वें यह अनुपात सरकार के ऋण चुकाने की योग्यता को सूचित करता है एक से अधिक का अनुपात सूचित करेगा कि सरकार की ऋण चुकाने की (दायित्वों से परिसम्पत्तियाँ अधिक है) योग्यता है, जबकि एक से कम का अनुपात प्रतिकूलता का सूचक होगी । यह अनुपात हमेशा से एक से कम रहा है एवं 0.73 (1998-99) में तथा 0.82 (1994-95)में के मध्य रहा है । राज्य सरकार की सम्पन्नता में कमी जारी रहने की ओर यह इंगित करता है । इस तथ्य के परिपेक्ष्य में इस निम्न अनुपात को समझा जा सकता है कि वर्ष 1995-99 के दौरान राज्य के कुल औसत व्यय का मात्र 5 प्रतिशत पर राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय स्थिर था ।	यह एक तथ्यात्मक कथन है ।	

(xii) बजट

बजट को उपलब्ध करने एवं उन्हें अनुमोदित करने में विलम्ब नहीं किया गया था । विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं आँकड़े । इस प्रतिवेदन के अध्याय 11 में बजट आकलन एवं वास्तविक व्यय में विभिन्नता तथा बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की गुणवत्ता का भी विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । बजट बनाने में त्रुटि एवं व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को यह इंगित करता है , जैसा कि प्रतिवर्ष पर्याप्त राशि का निरन्तर पुनर्विनियोजन (अभ्यर्पण) के साथ -साथ अंतिम संशोधित अनुदान के द्वारा स्पष्ट था । वर्ष 1998-99 के दौरान कुल बजटीय निधि का 29 प्रतिशत व्यय नहीं किया गया था (बचत) जो बजट की विश्वसनीयता को संदेहास्पद बनाता है ।

बजट अनुमान वित्तीय वर्ष शुरू होने के पूर्व किया जाता है, जिसमें कि संभावित व्यय होने वाली राशि को आधार माना जाता है । इसमें जीवन-यापन भत्ता में संभावित वृद्धि की राशि शामिल की जाती है, इसके अतिरिक्त नयी नियुक्तियों एवं योजना आकार के आलोक में व्यय होने वाली राशि के लिये बजट प्रावधान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए जो व्यय केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के आधार पर होगा, का आकलन किया जाता है । साल के अंत में जीवन-यापन भत्ता में जितनी प्रतिशत राशि का भुगतान अनुमानित किया गया था, उतनी प्रतिशत राशि का भुगतान नहीं होने से बचत होना संभावित है । इसके साथ-साथ राज्य योजना आकार में योजना उपलब्धता एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कारण कमी आने के फलस्वरूप, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में राशि के कम प्राप्ति के फलस्वरूप उक्त मद के व्यय नहीं होने के कारण बचत होना स्वाभाविक है । कुल बजट बनाने के समय में जैसे संभावित व्यय जो कि वित्तीय वर्ष में होने हैं, अगर कम पड़ जाता है तो, इसके लिए अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्रावधान कराया जाता है । राज्य योजना का आकार उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं मुख्य मंत्री के विमर्श के उपरांत निर्धारित होता है, जो कि पिछले कई वर्षों से वित्तीय वर्ष शुरू हो जाने के उपरांत निर्धारित हो रहा है, जिसके कारण कुल बजट बनाने के समय सभी मदों को अनुमानित किया जाना संभव नहीं है । इसी तरह केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए भी परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली राशि की सूचना वित्तीय वर्ष के शुरू में प्राप्त नहीं होने के कारण अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि का प्रावधान करना पड़ता है ।

तैयारी	उपस्थापन का माह	अनुमोदन का माह
लेखा अनुदान	मार्च- 1998	मार्च- 1998
बजट	मार्च- 1998	जुलाई 1998

पूरक-I	जुलाई 1998	जुलाई 1998		
पूरक-II	दिसम्बर- 1998	दिसम्बर- 1998		
पूरक-III	मार्च- 1999	मार्च- 1999		
(xiii) लेखा लेखा में बहुत महीनों का विलम्ब करने का बिहार का इतिहास रहा है जिसके कारण इसका वार्षिक लेखा समय पर संकलित नहीं हो सकता था । वर्ष 1998-99 के दौरान कोषागार एवं लोक निर्माण तथा वन प्रमण्डल जैसी अन्य लेखाकारण इकाईयाँ नियत तिथियों पर लेखे समर्पित नहीं करते थे । उदाहरणस्वरूप मार्च 1999 का लेखा देने में 43 कोषागारों 329 लोक निर्माण प्रमण्डलों तथा 137 वन प्रमण्डलों द्वारा 30 एवं 180 दिनों के मध्य तथा लोक निर्माण प्रमण्डलों में 91 से 180 दिनों के मध्य का विलम्ब किया गया था । फलस्वरूप वर्ष के अधिकांश महीनों में व्यय के वास्तविक स्तर को लेखा नहीं दर्शा पाता ।			लेखा के प्रस्तुतिकरण में विलंब निश्चित ही राज्य हित में नहीं है । कोषागारों से समय से लेखा प्रेषण किया जाये, इस उद्देश्य से भी कोषागारों का कंप्यूटरीकरण किया गया है । उन कोषागारों का कंप्यूटरीकरण वित्तीय वर्ष 2003-04 में किया जा रहा है । लोक प्रमंडलों के द्वारा लेखा समय से भेजा जाये इस संदर्भ में स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी लोक प्रमंडल समय से लेखा प्रेषित नहीं करे तो उनसे चेक प्राधिकार का अधिकार छिन लिया जाय जबतक वे लेखा प्रेषण नहीं कर देते हैं । लेखों का प्रेषण समय से हो इसे राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है । स्थायी समिति की बैठक में इस संदर्भ में समीक्षा की जाती है एवं आवश्यक निदेश दिये जाते हैं ।	

35	1. 11.4	1.11.4 वित्तीय सूचक घोर वित्तीय लापरवाही को उद्घाटित करता था, यह इससे स्पष्ट होता था कि वास्तविक तौर पर रोकड़ बहिर्गमन को आंकने में विफलता थी तथा अत्यधिक ब्याज दर पर अनावश्यक कर्ज लिये गये थे जबकि राज्य के पास अत्यधिक रोकड़ अतिरेक था । परिणामस्वरूप बढ़े हुये ब्याज भुगतान तथा कर्मियों पर बढ़ा हुआ व्यय के कारण भी पूर्ववर्ती वर्ष से राजस्व घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुई थी । जैसा कि स्वयं कर/जीएसडीपी अनुपात से देखा गया कि दयनीय कर अनुपालन भी घाटे को बढ़ाने में योगदान दिया था । चूँकि सरकार योजना एवं गैर योजना व्यय के बजटीय स्तर पर पहुँचने में पूरी तरह विफल थी, अतः बजट में काफी बचत थी । बचत पूँजीगत व्यय अधिकांशतः अनुत्पादक था जैसा कि बड़े पैमाने पर अपूर्ण योजनाओं, ऋण एवं पेशगियों की दयनीय वसूली तथा लोक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा हुए घाटे से देखा गया था । समग्र रूप से सरकार की वित्तीय स्थिति जो विगत वर्ष (1997-98) में भी प्रशंसनीय नहीं थी, आगे वर्ष 1998-99 में बदतर हो गई ।	बाजार ऋणों की उगाही योजना आयोग द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी राज्यों के लिये 3-4 किस्तों में की जाती है । उनका उपयोग कोषागार विपत्रों पर निवेश करने का लक्ष्य कभी भी राज्य सरकार का नहीं रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम रोकड़ शेष से अधिक राशि उपलब्ध रहने के स्थिति में 14 दिनों के कोषागार विपत्रों में स्वतः कर दिया जाता है । केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा प्राप्त करना संघीय व्यवस्था के तहत एक संवैधानिक अधिकार है आश्रय नहीं और राज्य के राजस्व प्राप्ति का महत्वपूर्ण अंग है । राज्य सरकार द्वारा लोक उपक्रमों में निवेश न्यूनतम किया गया है । राज्य सरकार राजस्व घाटे में कमी लाने का प्रयास कर रही है । इस संदर्भ में राजस्व करों में वृद्धि और राजस्व व्यय में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है । केन्द्र सरकार के साथ मध्यकालीन राज्यकोषीय सुधार कार्यक्रम के तहत एक समझौता किया जा रहा है, जिसमें 5 प्रतिशत प्रति वर्ष राजस्व घाटे में कमी लाने का लक्ष्य है । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	

<u>वित्त विभाग</u>

<u>वर्ष - 1998-99</u>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कंडिका सं०</th><th>आपत्ति</th><th>विभाग का स्पष्टीकरण</th><th>समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>36</td><td>2.2</td><td>
विनियोग लेखे का सारांश
वर्ष 1998-99 के दौरान अनुदानों/विनियोग के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार थी ।
<table>
<tr><th></th><th>व्यय की प्रकृति</th><th>मूल अनुदान/विनियोग</th><th>पूरक अनुदान/विनियोग</th><th>योग</th><th>वास्तविक व्यय</th><th>बचत (-)/आधिक्य(+)</th></tr>
<tr><td>दत्तमत</td><td>(i)राजस्व</td><td>11804.5</td><td>1467.8</td><td>13272.3</td><td>9127.0</td><td>-4145.3</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)पूँजीगत</td><td>1044.4</td><td>486.8</td><td>1531.3</td><td>823.5</td><td>-707.7</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)ऋण एवं पेशगियाँ</td><td>477.9</td><td>448.4</td><td>926.3</td><td>578.5</td><td>-347.8</td></tr>
<tr><td>कुल दत्तमत</td><td></td><td>13326.8</td><td>2403.1</td><td>15730.0</td><td>10529.1</td><td>-5200.8</td></tr>
<tr><td>भारित</td><td>(iv)राजस्व</td><td>2501.9</td><td>8.7</td><td>2510.7</td><td>2436.2</td><td>-74.4</td></tr>
<tr><td></td><td>(v)पूँजीगत</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(vi)लोकऋण</td><td>704.9</td><td>1.0</td><td>705.9</td><td>510.3</td><td>-195.6</td></tr>
<tr><td>भारित</td><td></td><td>3206.9</td><td>9.8</td><td>3216.7</td><td>2946.6</td><td>-270.0</td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td></td><td>16533.7</td><td>2412.9</td><td>18946.7</td><td>13475.7</td><td>-5470.9</td></tr>
</table>
व्यय 19.44 करोड़ रुपये की सीमा तक कम बताया गया था, जिस के अभिश्रव महालेखाकार को प्राप्त नहीं हुए थे एवं उनके लेखा बही में राशि का लेखांकन नहीं हो पाया था ।
कुल व्यय में कम से कम 84.79 करोड़ रुपये बढ़ा कर भी दिखाया गया था, क्योंकि वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न निकासी एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा कोषागारों से सार आकस्मिकता विपत्र पर निकासी की गयी थी एवं जिसका विस्तृत आकस्मिकता विपत्र उपस्थापित नहीं किया गया था ।
</td><td>
कोषागारों से माह में दो बार लेखाओं का प्रेषण करने का नियम है । लेखाओं के प्रेषण के साथ सभी अभिश्रवों (Vouchers)को भेजा जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त लोक प्रमंडलों से प्रत्येक माह लेखे प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाते हैं । जिन कोषागार या प्रमंडल से अभिश्रव प्राप्त नहीं हुये हैं, उन्हें चिन्हित कर महालेखाकार द्वारा सूचित करने पर अभिश्रव प्राप्त किये जा सकते हैं । आवश्यकता के आलोक में डुप्लीकेट अभिश्रव भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है । आकस्मिकता कोषागारों से सार आकस्मिकता विपत्र निकासी के संदर्भ में भी जिन-जिन निकासी से संबंधित विस्तृत आकस्मिकता विपत्र उपस्थित नहीं किये गये हैं, उन्हें चिन्हित कर सूचित करने की आवश्यकता है, ताकि विस्तृत आकस्मिकता विपत्र प्रधान महालेखाकार को संबंधित कोषागारों/कार्यालयों द्वारा कराये जा सकें ।
उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की तालिका सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।
</td><td>
लेखा एवं अभिश्रव समय पर महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त कराया जाना आवश्यक किया जाय । इस के लिए प्रत्येक माह के लिए निश्चित सीमा निर्धारित कर कोषागार एवं लोक प्रमंडल को बाध्य किया जाना चाहिए । उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में विभाग कार्रवाई कर तीन माह में समिति को प्रतिवेदित करें साथ ही सार आकस्मिकता विपत्र का समायोजन कराकर समिति को प्रतिवेदित किया जाय ।
</td></tr>
</table>

37	2.3 2.3.1	विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम 5470.94 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 29 प्रतिशत) की समग्र बचत अनुदानों के 47 मामलों एवं विनियोगों के 11 मामले में हुए 5471.27 करोड़ रुपये की बचत एवं 1 अनुदान के 0.33 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था । कुल बचत में से 42.20 करोड़ रुपये (77 प्रतिशत) राजस्व से संबंधित एवं 708 करोड़ रुपये (13 प्रतिशत) पूँजी से संबंधित थे । अनुदान संख्या 30 में 0.33 करोड़ रुपये के आधिक्य को संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमित कराना अपेक्षित था । अधिकांश बचत, जैसा कि नीचे दिखलाया गया है, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के दत्तमत प्रभाग में हुए थे :	बजट अनुमान से बचत होने के मुख्य कारण यह है कि जीवन-यापन भत्ता की गणना एक निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर संदर्भित वित्तीय वर्ष के लिए संभावित व्यय के लिए की जाती है । कई कारणों से जितनी प्रतिशतता तक जीवन-यापन भत्ता की स्वीकृति हेतु बजट में आंकी गई थी, उतनी राशि का भुगतान नहीं होने पर बचत होना स्वाभाविक है । इसके अतिरिक्त योजना आकार के अनुसार बजट प्रावधान किया जाता है । अपरिहार्य कारणों से योजना आकार में कमी आने से बचत हो जाती है । केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में व्यय होने वाली राशि संबंधित स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि/परियोजना के आधार पर प्रावधानित की जाती है । अगर उक्त वित्तीय वर्ष में उन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से राशि/परियोजना की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो बचत होना स्वाभाविक है । अधिकाई व्यय जिन-जिन अनुदानों में हुआ, उन्हें अलग-अलग देखने की आवश्यकता है । अधिकाई व्यय के लिए प्रशासी विभाग लोक लेखा समिति के समक्ष प्रशासी विभाग संविधान के 205 के अधीन नियमित कराने के लिए तथ्यात्मक विवरणी के साथ प्रस्तुत करता है । अगर अधिकाई व्यय के विनियमन की अनुशंसा के अनुसार लोक लेखा समिति द्वारा नहीं की जाती है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है । वित्तीय वर्ष 1998-99 से अगामी वर्षों के लिए निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण के व्यवस्था के संबंध में स्थायी अनुदेश निर्गत किये गये हैं, जिसके अंतर्गत कुछ मामलों को छोड़कर शेष सभी राशि की निकासी आवंटन आदेश के आलोक में ही की जा सकती है । उपर्युक्त के आलोक में इस	भविष्य में बजटीय प्रक्रिया को सुदृढ़कर वास्तविकता आधारित बजट तैयार किया जाए इस निदेश के साथ विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

(कुल प्रावधान)	मूल+पूरक	बचत	प्रतिशत
दत्तमत प्रभाग	(करोड़ रुपये में)		
1. राजस्व व्यय	13272.35	4145.32	31
2. पूँजीगत व्यय	1531.31	707.74	46

संवीक्षा से प्रकट हुआ कि माध्यमिक, प्राथमिक एवं लोक शिक्षा (1403 करोड़ रुपये), गृह (408 करोड़ रुपये), कल्याण (374 करोड़ रुपये), ग्रामीण विकास (358 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण (277 करोड़ रुपये) कृषि (185 करोड़ रुपये) तथा राजस्व एवं भूमि सुधार (135 करोड़ रुपये) विभागों में वृहद् बचत (3140 करोड़ रुपये) थे ।

इनमें से कम से कम 1981 करोड़ रुपये की बचत के लिए कारणों का स्पष्टीकरण संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा नहीं दिया गया था । बचतों के लिए जो स्पष्टीकरण विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, वे मुख्यतः सिपाही का भर्ती नहीं होने, योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने, सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल/वेतनमानों का संशोधन नहीं होने, योजना व्यय में कटौती, पंचायत चुनाव नहीं किया जाने एवं पदों की रिक्ति से संबंधित थे ।

विभिन्न विभागों में अधिकाई व्यय पर काबू पाने में बिहार सरकार विफल रही । 0.33 करोड़ रुपये के समग्र अधिकाई व्यय को भी प्रत्येक अनुदान के अंतर्गत विभिन्न उप-शीर्षों के तहत विभागीय पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट अधिकाई व्यय के परिपेक्ष्य में समझना था । इन अनुदानों के अंतर्गत हुए बहुत अधिक समग्र बचतों के कारण उप-शीर्षों के तहत आधिक्य प्रतितुलित किए गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अनुदान संख्या	विभाग	बचत	आधिक्य	समग्र बचत
		(करोड़ रुपये में)		
1	कृषि	195.20	10.20	185.00
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	285.98	8.98	277.00
40	माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा	135.14	0.14	135.00
44	माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा	1420.94	17.94	1403.00
51	कल्याण विभाग	377.20	3.20	374.00

इस प्रकार बजट प्रावधान के अंतर्गत व्यय को रखने में नि. एवं व्यय पदाधिकारियों की विफलता एवं नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा उचित नियंत्रण रखने में विफलता के कारण कुछ विभागों में अधिकाई व्यय की निरंतरता वर्ष के दौरान भी जारी रहा । कंडिका 2.3.8 एवं 2.3.10 में अन्य अधिकाई व्ययों के मामले की चर्चा की गयी है ।

38	2.3.3	जुलाई 1998, जनवरी 1999 एवं मार्च 1999 में 51 मामलों में प्राप्त किये गये (परिशिष्ट-V) 1521.73 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन मामलों में व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुए थे । 9 और मामलों में (परिशिष्ट- VI) 791.40 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान के विरुद्ध मात्र 372.92 करोड़ रुपये की ही अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी, फलतः प्रत्येक मामले में बचत 10 लाख रुपये से अधिक था ।	किसी भी अनुदान में बजट प्रावधान मुख्य शीर्ष के अंतर्गत किस उप शीर्ष और किस इकाई में व्यय किया जाता है, के आधार पर किया जाता है । तदोपरान्त के संदर्भ में पूरक प्रावधान की आवश्यकता पड़ती है । बचत/व्यय की राशि को तत्संबंधी एवं इकाईवार देखकर ही आंका जा सकता है कि पूरक प्रावधान आवश्यक था । उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	भविष्य में अतिरिक्त आवंटन की प्रक्रिया को आवश्यकता आधारित बनाया जाय इस निदेश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

39	2.3.6	41 मामलों में, जैसा कि परिशिष्ट VII में दर्शाया गया है, व्यय में 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एवं कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की भी कमी थी ।	भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष का सिविल प्रतिवेदन का परिशिष्ट IX में 43 अनुदानों/विनियोग के संदर्भ में जहाँ बचत राशि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की एवं मूल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक की भी कमी थी, की सूची दिखायी गयी है । प्रत्येक अनुदान/विनियोग के संदर्भ में संबंधित प्रशासी विभाग का बचत के कारणों की सूचना उपलब्ध कराती है । वित्त विभाग से संबंधित मांग संख्या-12 में 24.83 करोड़ रुपये की बचत के लिए राजस्व में मुख्यतः छुट्टी यात्रा, रियायत के लिए आवंटन की मांग नहीं होने, वरीय लेखा परीक्षकों की हड़ताल अवधि के वेतन की अनिकासी तथा क्षेत्रीय योजनाओं में सभी वरीय लेखा परीक्षकों का विनियोजन, पुनरीक्षित वेतनमान में वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन का अनिर्धारण, मितव्ययिता लागू करने, कोषागार निदेशक की स्थापना का विघटन आदि के कारण हुई थी । पूंजीगत में 5.77 करोड़ रुपये में बचत अंशतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से गृह निर्माण अग्रिम के लिए कम संख्या में आवेदन, अधूरी सूचना के कारण मोटर कार अग्रिम की अस्वीकृति तथा हड़ताल के चलते निबंधन कार्यालय के देरी के कारण हुआ था । पेंशन अनुदान में कम प्रस्तावों के कारण बचत हुई थी, पेंशन मद में बजट प्रावधान के लिए कितनी राशि आंकी जाये, इसका सही-सही अनुमान पाना मुश्किल हो रहा है ।	विभागीय जवाब के आलोक में समिति भविष्य में इस प्रकार के स्थिति से बचने के निदेश के साथ इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

			महालेखाकार के कार्यालय से पेंशन की स्वीकृति होती है। अपेक्षा यह है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन के लिए प्राक्कलन किया जाये, किन्तु वे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण इस मद में बजट आकलन पूर्व के व्यय के आधार पर किया जाता है। वर्ष 98-99 में 1024.36 करोड़ रु० पेंशन में खर्च हुआ था। 99-00 के लिए 1240.66 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान यह मानते हुए किया गया था कि पेंशन पुनरीक्षण के कारण राशि में व्यय अधिक होगा, परंतु ऐसा नहीं होने के कारण बचत हुई है। उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।	
40	2.3.7	25 मामलों में प्रत्येक में 2 करोड़ रुपये से अधिक सतत बचतें पायी गयी थी (प्रपत्र परिशिष्ट VIII)।	जिन अनुदान/विनियोग के मामलों में बचतें बतायी गयी है, संबंधित प्रशासी विभाग से इस संदर्भ में बचत के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती होगी। बचत का आधार 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं माना जाना न्याय संगत नहीं है। क्योंकि कई ऐसे अनुदान हैं जिसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया जाता है। 2 करोड़ रुपये की राशि मात्र 1 प्रतिशत होती है। बजट प्रावधान में योजना [illegible] से प्राप्त होने वाली संभावित प्रतिशतता, योजना आकार के अनुरूप बजट प्रावधान, केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के लिए राशि का प्रावधान करना पड़ता है। अगर इनमें अपेक्षाकृत कम व्यय होता है तो, बचत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है।	विभागीय जवाब के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

41	2.3.10	पूर्वानुमानित बचतें अभ्यर्पित नहीं की सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार जब-कभी भी बचतें पूर्वानुमानित हों, व्यय करने वाले विभागों द्वारा वित्त विभाग को अनुदानों/विनियोग या उसके भाग अभ्यर्पित कर दिये जाने थे । हालाँकि विभाग द्वारा वर्ष 1998-99 के अंत तक विभागों द्वारा 35 अनुदानों/विनियोगों में, जिनमें प्रत्येक मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक के 1731.70 करोड़ रुपये की वृहत बचतें थी, को अभ्यर्पित नहीं किया गया था (द्रष्टव्य परिशिष्ट XI) । इसके अतिरिक्त, पूर्व अभ्यर्पित 3655.55 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे, जो इंगित करता था कि उचित बजटीय नियंत्रण लागू किए जाने की विफलता के कारण विभागीय पदाधिकारियों एवं वित्त विभाग ने सरकारी नियमों की अवहेलना की थी ।	विभागों से यह अपेक्षा है कि बचतों को अभ्यर्पित कर दे । विभागों के अधीनस्थ कार्यालय, जिला एवं अंचल स्तर पर अवस्थित है । प्रशासी विभाग द्वारा बजट आवंटन इन कार्यालयों को मुख्यालय स्तर से भेजा जाता है । कार्यालयों से यह अपेक्षा होती है कि जो राशि का इस्तेमाल नहीं होना है, उसे वे मुख्यालय को अभ्यर्पित कर दे । विभागों को यह निदेश दिया जा सकता है कि भविष्य में बचतों को अभ्यर्पित करने में सतर्कता बरती जाय । उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ता के लिए कार्यालयों के बीच आधुनिक संपर्क तंत्र की स्थापना एवं सदुपयोग आवश्यक है । इस निदेश के अनुरूप विभाग तीन माह में समिति को स्थिति से अवगत कराये ।
42	2.3.12	आकस्मिकता निधि से अग्रिम भारत के संविधान की धारा 267(2) के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपये की आरंभिक काया के साथ बिहार राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित की गयी थी । उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करके इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था । 31 मार्च 1999 को यह 350 करोड़ रुपये (वर्ष 1987-88 से) पर पहुँच चुका था । राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकार लम्बित करते हुये "नई सेवा" पर व्यय सहित अपूर्वानुमानित था । राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकार लम्बित करते हुये "नई सेवा" पर व्यय सहित अपूर्वानुमानित व्यय, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता था, पूरा करने के लिए निधि अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के व्ययाधीन रखी गई है । वर्ष 1997-98 में स्वीकृत 260.30 करोड़ रुपये के अग्रिम वर्ष के आरंभ में प्रतिपूर्ति हेतु लंबित थे । वर्ष 1998-99 के दौरान भी अग्रिम की प्रतिपूर्ति निधि में नहीं की गयी थी । आकस्मिकता निधि के संचालन की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 1998-99 के दौरान 395.84 करोड़ रुपये के कुल 276 अग्रिम स्वीकृत किए गए थे । यह पता चला कि: (i) 18.27 करोड़ रुपये निहित करते हुए 54 स्वीकृत्यादेश बिहार आकस्मिकता निधि नियमावली के नियम 6(ख) के तहत जारी किए गए थे । मूल अनुदान/विनियोजनों से संबंधित विनियोग विधेयक पारित होने के साथ ये अग्रिमें निधि में पुनः प्राप्त हो गए थे । (ii) 377.57 करोड़ रुपये से निहित शेष 222 स्वीकृत्यादेशों की निधि में प्रतिपूर्ति प्रथम पूरक अनुदानों/विनियोगों (13.68 करोड़ रुपये से निहित 20 स्वीकृत्यादेशों), द्वितीय पूरक अनुदानों/विनियोगों (261.35 करोड़ रुपये से निहित 107 स्वीकृत्यादेशों) एवं तृतीय पूरक अनुदानों/विनियोगों (102.54 करोड़ रुपये से निहित 95 स्वीकृत्यादेशों) के माध्यम से की गयी थी । (iii) परिशिष्ट- XIII में विवर्णित कुछ निदर्शी मामले दर्शाएंगे कि 142.91 करोड़ रुपये के व्यय को करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किए गये थे, जबकि व्यय वैसा नहीं था कि उसका पूर्वावलोकन नहीं किया जा सकता था । ये दृष्टांत इंगित करते थे कि न तो वित्त विभाग और न ही अन्य विभागों ने आकस्मिकता निधि से निकासी के प्रस्ताव एवं अनुमोदन पर समुचित ध्यान दिया था ।	बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा 1987-88 में 350 करोड़ रु० कर दी है । अनुपूरक मांग में बिहार आकस्मिकता निधि से दिये गये राशि का समायोजन किया जाता है । अनुपूरक में राशि समायोजन होने के उपरांत पुनः निधि 350 करोड़ रु० की उपलब्ध हो जाती है । वित्तीय वर्ष में 590.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति से निधि की अधिसीमा का अवक्रमण नहीं किया गया है । आकस्मिकता निधि से राशि की उपलब्धता प्रशासी विभाग द्वारा व्यय की आवश्यकता के आलोक में उपलब्ध करायी जाती है । उपर्युक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस निदेश के साथ कि अग्रिम की स्वीकृति में आवश्यकता की अपरिहार्यता को भविष्य में ध्यान में रखा जाय, इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

43	2.3.11	37 प्रतिशत व्यय का सामंजन नहीं किया गया था वित्तीय नियमावली के अनुसार आवश्यक है कि व्यय के विभागीय आंकड़ों को महालेखाकार की बही में दर्ज आंकड़ों के साथ नियत अवधि पर विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा सामंजन किया जाए । उच्चतम स्तर से बारंबार स्मार के बावजूद वर्ष 1998-99 के दौरान 120 नियंत्री पदाधिकारियों ने लेखे के अंतिम बंदी के समय तक 1144 अदद विनियोग के अंतर्गत लगभग 4996.05 करोड़ रूपये के कुल व्यय की राशि का सामंजन नहीं किया था । असामंजित व्यय कुल व्यय का 37 प्रतिशत होता था । वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, एवं पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी विभागीय आंकड़ों का असामंजन इंगित किए जाने एवं सामंजन की आवश्यकता पर जोर दिए जाने के बावजूद भी नियंत्री पदाधिकारियों की ओर से इस संबंध में उदासीनता बनी रही एवं वर्ष 1998-99 के दौरान भी व्यय पर विभागीय नियंत्रण में शिथिलता जारी रही । राशियों का विभाग-वार विवरण, जिनका वर्ष 1998-99 के दौरान सामंजन नहीं हुआ था, परिशिष्ट- XIV के अनुसार थे । यह पाया गया कि 4995.05 करोड़ रूपये के कुल असामंजित राशि में से 4559. 87 करोड़ रूपये वित्त, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, मानव संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, समाज कल्याण, उर्जा, प्राकृतिक आपदा तथा विधि विभागों से संबंधित थे । वित्तीय नियमावली में बताए गए लेखे में दर्ज आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के सामंजन के लिए नियंत्री पदाधिकारियों को समय-समय पर अनुरोध किया गया था । मासिक आंशिक लेखे के साथ वित्त आयुक्त को (उनके नाम से) प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) द्वारा भेजे गए मूल्यांकन टिप्पणी में भी असामंजन संबंधी तथ्य खास उल्लेख किया गया था । इन स्मारों के बावजूद भी अत्याधिक व्यय असामंजित रह गए (विवरण परिशिष्ट- XIV में) । विभिन्न विभागों के नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा व्यय का सामंजन नहीं किए जाने से कपट, धोखाधड़ी एवं गबन आदि के उजागर नहीं होने, जैसा कि वर्ष 1996-97 तक पशुपालन विभाग के मामले में देखा गया था, जैसा गंभीर अनियमितताओं का खतरा था ।	नियंत्रण पदाधिकारी के लेखे का मिलान महालेखाकार के लेखों से करने का प्रावधान बिहार वित्तीय नियमावली 475 में वर्णित है जिसकी उपकंडिका 8 का उल्लेख किया जा रहा है- महालेखापाल की पुस्तों में दिए आंकड़ों के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा रखे गये लेखे के आंकड़ों के मिलान के लिए विभागाध्यक्ष और महालेखापाल संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे । जबतक किसी मामले में प्रतिकूल नियम या आदेश न हो, यह मिलान नियमित किया जाय और इसकी आरंभिक जिम्मेवारी महालेखापाल पर होगी । मिलान बहुत सूक्ष्म हो, यह आवश्यक नहीं । इसकी सीमा निम्न बातों से निर्धारित होगी:- (1) अंतिम रूप से प्रकाशित लेखा-आंकड़े वही होंगे जो महालेखापाल द्वारा रखे गये हों ; और (2) मिलान का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखे इतने शुद्ध हैं कि खर्च पर कारगर विभागीय नियंत्रण रखा जा सकता है । लेखों के मिलान महालेखाकार से करने की आवश्यकता पर वित्त विभाग द्वारा लगातार बल दिया गया है एवं नियंत्री पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता रहा है । पिछले वर्षों में व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार भी हुआ है । महालेखाकार के सुझाव पर कई विभागों में सहायक नियंत्री पदाधिकारियों का भी प्रावधान किया गया है, ताकि लेखा मिलान में सुविधा हो । उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।	विभागीय आंकड़ों का सत्यापन समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने हेतु नियंत्री पदाधिकारियों को बाध्य किया जाना चाहिए । इसके लिए वित्त विभाग के पास वित्तीय नियंत्रण है । उपरोक्त अनुशंसाओं के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर तीन माह के अंदर समिति को प्रतिवेदित किया जाय ।

44 | 2.3.14

बचतों/आधिक्यों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में नियंत्री पदाधिकारियों की विफलता

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अंतिम अनुदानों /विनियोगों, वास्तविक व्यय एवं परिणामी विभिन्नताओं को उपशीर्षवार दर्शाते हुए विस्तृत विनियोग लेखे प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह.)द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को भेजे जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शीर्ष के अन्तर्गत महत्वपूर्ण विभिन्नताओं को स्पष्ट करें ।

वर्ष 1998-99 के दौरान 0.33 करोड़ रुपये का अधिकाई व्यय एवं 5471.27 रुपये का बचत था, जो कुल बजट प्रावधान का 28.89 प्रतिशत था ।

वर्ष	कुल बचत	राशि, जिनके लिए स्पष्टीकरण अप्राप्त थे	कुल आधिक्य	मामलों की सं. जिनके स्पष्टीकरण अपेक्षित थे	मामलों की सं. जिनके स्पष्टीकरण अप्राप्त थे	प्रतिशतता
1994-95	2819	2819	318	1024	761	74
1995-96	2601	2601	409	865	604	70
1996-97	2026	2026	256	823	556	68
1997-98	3134	2607	12	771	664	86
1998-99	5471	5471	37	1188	970	82

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अनुदानों की व्यवस्था करने वाले नियंत्री पदाधिकारी आधिक्यों/बचतों का स्पष्टीकरण उपलब्ध करने के अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में लगातार विफल रहे । परिणामतः सरकार विधान मंडल के प्रति अपने उत्तरदायित्व की संवैधानिक जिम्मेवारी निभाने में विफल रही ।

प्रारूप विनियोग लेखे पर उत्तर हेतु महालेखाकार द्वारा तीन से सप्ताह का समय दिया जाता है । जिन प्रारूप विनियोग लेखे में बचत/आधिक्य के लिए स्पष्टीकरण देना भी निहित रहता है उसमें महालेखाकार द्वारा उत्तर देने के लिए छः सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की जाती है । प्रारूप विनियोग लेखे की प्रति विभाग को भेजी जाती है । साथ ही, प्रारूप विनियोग लेखे के अग्रसारण पत्र की प्रति ही मात्र वित्त विभाग को भेजी जाती है जिसके साथ विनियोग लेखे का विवरण संलग्न नहीं रहता है । विभागों द्वारा बचत/आधिक्य के लिये स्पष्टीकरण को समय पर भेजे जाने का दायित्व संबंधित विभाग का है । वित्त विभाग के स्तर से सभी संबंधित विभागों को अग्रसारण पत्र की छाया प्रति भेजते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है ।
उपरोक्त के आलोक में इस कंडिका को वित्त विभाग की लंबित कंडिकाओं की सूची से विलोपित करने की कृपा की जा सकती है ।

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को आगे बढ़ाना चाहती है ।

पटना ।
दिनांक 30 अप्रैल, 2003

सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान सभा ।

बि० स० मु० (मुद्रण मु०) 40—टी० टी० पी०—

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2003